



Self Declaration

This is to declare that the information, reports, true copies of the supporting documents, numerical data and web links furnished in this file are verified by IQAC and the Head of Institution and found correct.

Hence this certificate is issued

Br. 9. L. Ninnerel 1QAC Co-Ordinator Dr. H. N. Sinha Arts & Commerce College, Patar



Dr. K. S. Khandare Principal Dr. K. S. Khandare Dr. H. N. Sinka Arts & Commerce College, Pator

Proof w.r. t. Organisation wide awareness and undertaking on policies with zero tolerance.

- 1. Year wise Constitute Grievance Committee
- 2. Grievance Redressal Policy
- 3. UGC Norms
 - 1. UGC Regulation (Grievance Redressal), 2012 dated 23-29th March 2013
 - 2. UGC Regulation (Grievance Redressal),2019 dated 6th May 2019
 - 3. Maharashtra University Act 2016 dated 25th Feb 2019

Year wise Constitute Grievance Committee


Grievance & Redressal Committee 2021-22

The Committee of the college for session 2021-22 is as follows-

- Dr. K. S. Khandare Chairperson
- Dr. D. S. Ghogare- Coordinator
- Dr. V. G. Wasu Senior Teacher (Member)
- Prof. A. D. Vikhe- Senior Teacher (Member)
- Dr. S. L. Khandel -Senior Teacher (Member)
- Nikita Ambhore -Student's Representative
- ShrikantGadekar Student's Representative

Coordinator Internal Quality Assurance Cell Dr. H.N. Sinha Arts & Commerce College, PATUR





Grievance & Redressal Committee 2020-21

The Committee of the college for session 2020-21 is as follows-

- Dr. V. N. Jayale Chairperson
- Dr. D. S. Ghogare- Coordinator
- Dr. V. G. Wasu Senior Teacher (Member)
- Prof. A. D. Vikhe- Senior Teacher (Member)
- Dr. S.L. Khandel -Senior Teacher (Member)
- PallaviBhagat -Student's Representative
- Dinesh Tayade Student's Representative

Principal, Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola





Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola

Grievance & Redressal Committee 2019-20


The Committee of the college for session 2019-20 is as follows-

- Dr. V. N. Jayale Chairperson
- Dr. M. J. Ingole- Coordinator
- Dr. V. G. Wasu Senior Teacher (Member)
- Prof. A. D. Vikhe- Senior Teacher (Member)
- Dr. S. L. Khandel -Senior Teacher (Member)
- AnkitaNilkhan -Student's Representative
- AshvinNikhade Student's Representative

Principal, Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola

Coordinator Internal Quality Assurance Cell Dr. H.N. Sinha Arts & Commerce College, PATUR





Grievance & Redressal Committee 2018-19


The Committee of the college for session 2018-19 is as follows-

- Dr. V. N. Jayale Chairperson
- Dr. M. J. Ingole- Coordinator
- Dr. V. G. Wasu Senior Teacher (Member)
- Prof. A. D. Vikhe- Senior Teacher (Member)
- Dr. S. L. Khandel -Senior Teacher (Member)
- KiranGotarkar -Student's Representative
- Ram Shende Student's Representative

Principal, Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola

Coordinator Internal Quality Assurance Cell Dr. H.N. Sinha Arts & Commerce College, PATUR





Grievance & Redressal Committee 2017-18

The Committee of the college for session 2017-18 is as follows-

- Dr. V. N. Jayale Chairperson •
- Dr. M. J. Ingole- Coordinator •
- Dr. V. G. Wasu Senior Teacher (Member) •
- Prof. A. D. Vikhe- Senior Teacher (Member) •
- Dr. S. L. Khandel -Senior Teacher (Member) •
- Komal Tale -Student's Representative •
- Ram Shende Student's Representative •

Principal, Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola



Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola

Grievance Redressal Policy

Dr. H. N. Sinha College, Patur has well operative Students, Teaching and Non-Teaching staff Grievance RedressalCommitee (herein after called as GRC). The primary function of the Committee is to take cognizance of the complaints/grievance and look into the same and make suitable and judge it's merit.

The Grievance Redressal Committee is also empowered to look into matters of harassment. Anyone with genuine grievance can approach the grievance Redressal Committee members in person or if the complainant wants the grievance can also be sent in writing; even an anonymous complaint can be entertained by way of complaint box.

Objectives:

The objective of the grievance Redressal committee is to develop a well responsive and accountable attitude among all the stakeholders with main focus on students in order to maintain a harmonious educational atmosphere in the institute. The committee has been constituted for the Redressal of the problems reported by the students, Teaching and Non-Teaching staff of the College with the following objectives:

- Creating a conflict free atmosphere with upholding the dignity of the College through promoting cordial student-inter-relationship and student-teacher relationship.
- Encouraging the Student to express their grievances/problems freely and frankly, without any fear of being victimized.
- •
- Set-up of Suggestion/Complaint Box so that even anonymous complaints can also be entertain their suggestions for improving the Academics/Administration in the College.
- Advising Students of the College to respect the right and dignity of one another and show utmost restraint and patience whenever any occasion of rift arises.
- Discourage ragging in any form where in and outside the institution. Any violation of ragging and disciplinary rules will be urgently brought to the notice of the Principal.

Functions:-

The cases are attended promptly on receipt of written grievances from the students. The Committee formally meets to review all cases, prepares a reports about the number of cases received, attended and the number of pending cases, if any, which require direction and guidance from the higher authorities.

Ambit of committee:-

The Committee deals with Grievances received from the students about any of the following matters:-

Procedure-

- The setting of the Grievance Redressal Committee for students will be widely published at all conspicuous places in the college.
- The students may feel to put up a grievance and drop it in boxes placed at conspicuous location.
- The GRC will act upon those cases which have been forwarded along with the necessary documents.
- The decision of GRC will be finalized by majority.
- The GRC will make enquiry to see the merits and if necessary can call the complainant in person.
- The GRC will take up only those matters which have not been solved by the different departments.

The Committee shall endeavour to Contribute effectively to dispose the grievances at the earliest.

Exclusions:-

The Grievance Redressal Committee shall not entertain the following issues:


- Decisions of the Executive Council, Academic Council, Board of studies and other Administrative or Academic Committees constituted by the University.
- Decisions with regard to award of scholarship, fee concessions, medals, under government schemes.
- Decisions of the University about admissions in any courses offered by the Institute.
- Decisions by competent authority on assessment and examination result.

Establishment of a Grievance Redressal Committee

In order to comply with the UGC Regulation for addressing, student or Parent's grievance, "Grievance Redressal Committee" of Dr. H. N. Sinha College of Arts, Commerce College, Patur has been constituted with following Staff in different positions to enquire the nature and extent of grievance. The committee can suggest the final action to be initiated at the institutional level for the redressal of the same.

3. UGC Norms

- 1. UGC Regulation (Grievance-redressal), 2012 dated 23-29th March 2013.
- 2. Public-Notice-on-Grievance-redressal.pdf 2018
- 3. UGC Regulation (Grievance-redressa), 2019 dated 6th May 2019.
- 4. Maharashtra University Act 2016 Dated 25th Feb. 2019.



Dr. H.N. Sinha Arts and Commerce College, Patur

THE GAZETTE OF INULA, MARCH 23, 2013 (CHAITRA 2, 1935) Past ill-Sec. 4 UNIVERSITY GRANTS COMMISSION New Dothi-119902, the --- December 2012 F. No. 14-4/2012(CPP-EI)-In energies of the power conferred under sub-motion (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (1 of 1956), the University Grants Committion hereby makes the following regulations, namely > 1. Blast side, application and contrarrorment -(1) These regulations shall be easied the University Grants Communicat (Grievance Redressal) Regulations, 2012. GI They shall apply to every University, whether established or incorporated by or under a Central Art or a State Act, and every institution recognised by the University Grants Commission ander clause (f) of Section 2 of the University Graets Commission Act, 1956 and to all institutions desmad to be a university doubtred as such under Sentian 3 of the said Act. (3) They shall come imp force from the data of these publication in the Official Gaussia. 2. Definition -- in these regulations, usless the context otherwise requires (a) "Aut" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956): (b) "appraised modent" means a statent who has any complains in the matters concerned with the gravacous defined under these regulations, and recitedes a personal arriting administents overy institution of higher education. (c) "college" means any instruction, whether known m such or by any other mirre, which provides for a murne of study for obtaining any qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such tailvarrity, is successived as competent to provide for such course of study and present students undergoing back course of study for the essentiation for the award of such qualification; (d) "Commission" means the University Grants Commission established under ancies 4 of the UGC Act. 1956 (a) "doclared administ posses" means such policy for admission to a source or program of study as may be offered by the institution and publicitual in the prospectus referred to is sub-negalation (1) of regulation it.

	1
(p.,	THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 21, 2013 (CHAITRA 2, 1933) 909
11/ 200 0000	if) "grievances" include the following complaints of the aggneved indudents, nemely: -
	 making admission contrary to merit datermined in accordance- with the declared admission policy of the institute;
	(iii) knegularity in the admission process adopted by the institute,
	 (ii) refusing admission in accordance with the declared admission policy of the institute;
	(iv) non publication of prospectus, as specified,
	 (v) publishing any information in the prospectus, which is take or misleading, and not based on facts;
	 (vi) withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, with a view to induce or compet such person to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such person does not intend to pursue;
	 (vii) demand of money in excess of that specified in the declared edmission policy or apprived by the competent authority to be charged by such institution;
	(viii) breach of the policy for reservation to admission as may be applicable;
	 (x) complaints, of alleged discrimination of students, from the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Women, Minority or Disabled categories;
	(x) non payment or delay in payment of scholarships to any student that such institution is committed, under the conditions imposed by University Grants Commission, or by any other authority.
	 (xi) delay in conduct of examinations or declaration of results beyond that specified in the academic calendar;
	(xi) on provision of student amendies as may have been promised or required to be provided by the institution.
	(xiii) denial of quality education as promised at the time of admission or required to be provided;
	(xiv) non transparent or unfair evaluation practices,

	THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23, 2013 (CIGAITEA 2, 1933) [Past III-Sic. 4
	(w/) harassement and victimisation of students, including sexual harassment.
6	(g) 'Gnevence Redressal Committee' means a committee constituted under these regulations;
	(h) "Higher Educational Institution" means a University within the meaning of clause (f) of Section 2, a college within the meaning of clause (b) of sub- esction (1) of Section 12A, and an institution deemed to be a University doctared under Section 3, of the University Grants Commission Act, 1955;
	 (i) "institution" for the purposes of these regulations, means university, cortege or institution, as the case may be;
	(j) "Office of profit" means an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain, and to which some pay, salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached.
	 (k) "Ornbudsman" means the Ombudsman appointed under regulation 4 of these regulations;
	 (I) "university" means a university established or incorporated by or under a Central Act or a State Act and includes an institution deemed to be university declared as such under Section 3 of the Act.
	3. Mandatory publication of prospective, its contents and pricing:
	(a) each component of the tee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or programme of Mudy, and the other terms and conditions of such payment;
	(b) the percentage of tution fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to that student;
	(c) the number of seats approved by the appropriate statutory authority in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
	(d) the conditions of eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or programme of study, where so specified by the institution.

Pro W Ka. 4	THE GAZETTE OF INDEX, MARCH 27, 2013 (CRAITHA 2, 1935)	9
7	(0) the educational qualifications specified by the relevant appropriate statutory authority, or by the institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;	417
	(f) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or assamination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test.	
	(g) details of the teaching faculty, including therein the inducational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such members are on regular basis or as visiting member;	
	(h) information in regard to physical and academic intrastructure and other facilities including hosts! accommodation, library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the tacibies accessible by students on being admitted to the institution.	
	(i) broad outlines of the syltabue specified by the appropriate statutory authority or by the estitution, as the case may be, for every course or programme of study, including the teaching hours, practicel assistons and other assignments;	
	(i) all relevant instructions in regard to maintaining the disopline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular such disopline relating to the prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made by the relevant statutory regulatory authority; and	
	(k) any such other information as may be specified by the	
p pr pr	Vovided that an institution shall publish information referred to in items () to (i) of this sub regulation, on its website, and the attention of respective students and the general public shall be drawn to such iblication on the website through advertisements displayed conviced further that an institution may publish prospectus in cordance with this sub regulation at any time before the period of thy days	
- 40	Every institution shall fix the price of each printed copy of the spectus, being not more than the reasonable cost of its publication d distribution and no profit be made out of the publication, induction or safe of prospectus.	

2	8				
	- ag_ (-	2
	R12	TH	GAZETTE OF INDIA, MARCH 23, 2013 (CHAITRA 2, 1935)	(Part III-Sec. 4	
	4		itment, tenure, removal and conditions of servic nee redressal mechanism –	ses under	
1			 Each University shall appoint an Ombud dressal of grievances of students under these regula 	sman for tions.	
		1	2) The Ombudsman shall be a person who hand dge not below the rank of a District Judge or rolessor who has at least ten years' experience as a person of the statement of the	a refired	
		0 0 0 0 0 0	B) The Ombudaman shall not, at the time of appuring one year before such appointment, or in the continue as Ombudaman, be in a conflict of interest niversity where his personal relationship, professional r financial interest may compromise or reasonably compromise, the independence of judgement to interest.	utse of his t with the appear to	
		(4 81	 The Ombudsman, or any member of his immed hall not - 	late family	
	1		 (a) hold or have held at any point in the past or, employment in the office of pro University; (b) have any significant relationship, personal, family, professional or financia university; (c) hold any position in university by whate called, in the administration or gr structure of the university. 	including d, with the	
		b	i) The Ombudsman in a State University shall be y the university on part-time basis from a panel of the commended by the search committee consisti- flowing members, namely: -	ce names	
			 (a) nominee of the Governor of the State - ((b) two Vice-Chancellors, by rotation from universities of the State to be nominal State Government - Members; (c) one Vice-Chancellor, by rotation from university of the State to be nominate State Government - Member; (d) Secretary (Higher Education) of the Member- Convener. 	ed by the a private ed by the	
		d	i) The Ombudsman in a Central University and semed to be university shall be appointed by th niversity or institution as the case may be on part to	e Central	
		74			
			10		

Post III-Sec. 4]

THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23, 2013 (CHAITRA 2, 1935)

813

2

from a panel of three names recommended by the search committee consisting of the following members, namely:-

- Chairman of the University Grants Commission or his nominee - Chairman;
- b) one Vice Chancelior from central university, by rotation, to be nominated by the Central Government - Member;
- c) one Vice Chancellor from institution deemed to be university, by rotation, to be nominated by the Central Government – Member;
- Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Human Resource Development dealing or incharge of the higher education - Member;
- e) Joint Secretary in the affice of the University Grants Commission - Member - Convener

(7) The Ombudsman shak be a part time officer appointed for a period of three years or until he attains the age of seventy year, whichever is earlier, from the date he resumes the office and may be reappointed for another one term in the same university.

(6) The Ombudsman shall be paid a fees of Rs. 3000 per day for hearing the cases, in addition to reimbursement of the conveyance.

(9) The Ombudsman may be removed on charges of proven misconduct or misbehavior or as defined under sub regulation (3) and (4) of this regulation, by the concerned appointing authority.


(10) No order of removal of Ombudisman shall be made except after an inquiry made in this regard by a person not below the rank of Judge of the High Court in which such Ombudisman has been informed of the charges egainst him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of these charges.

5. Grievance Redressal Committee -

(1) In case of a college, the Vice Chancellor of the affiliating university shall constitute a Grievence Redressal Committee consisting of five members for an individual college or a group of colleges keeping in view the location of the college(s).


(2) The Grievance Recressal Committee shall be constituted by the Vice-Chancellor of the affiliating university consisting of -


- a) a senior Professor of the University Chairman
- b) three senior backers drawn from the affiliating colleges, on rotation basis, to be nominated by the Vice-Chancellor – Members:



11 THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 23, 2013 (CHATTRA 2, 1935) 815 . 1 ff. -Suc [4] (3) On receipt of an application by the registry, the employee-incharge shall inform the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall immediately provide a copy to the institution for furnishing its reply within seven days. (4) The Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall fix a date for hearing the complaint which shall be communicated to the institute and the apprieved person either in writing or electronically, as may be feasible. (5) An aggrieved person may appear either in person or represented by such person as may be authorised to present his 0350 (6) The Ombudaman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall be guided by the principles of natural justice while hearing the grievance. (7) The Ombudaman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall ensure disposal of every application as speedily as possible and not later than a month of receipt of the grievance. (8) The institution shall co-operate with the Ombudisman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, in redressal of grievances and failure to do as may be reported by the Ombudsman to the Commission. (9) On the conclusion of proceedings, the Ombudsman or the Gnevance Redressal Committee, as the case may be, shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue. (10) Every order under sub-regulation (9), under the signature of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, shall be provided to the aggrieved person and the institution and shall be placed on the website of the institution. (11) The institution shall comply with the order of the Ombudisman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, (12) Any order of the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, not complied with by the institution shall be reported to the Commission. (13) A complaint shall be filed by the aggrieved student or his parent or with a special permission from the Ombudsman or the Grievance Redressal Committee, as the case may be, by any other person. (14)In case of any false or frivolous complaint, the ombudsman may order appropriate action against the complainant. - +- (1)(2017

Criteria V : Student Support and Progression - 5.1.4





.

_		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III-SEC. 4]
(' 1)	ामहावि परिभाषि	द्यालय' से अभिभाव अधिभिवम की धाल 12क की उपयाश (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से 10 किसी संस्थान ते है।
(4)	्महावि किली भ	व्यालयी खात्र किरुपयत निवारण समिति" (फीएसजोआलसी) से अभिग्राम इन सिमिधनों के तडत राज्यान के रतन पर, सोफि महाविद्यालय हो, गठित किसी समिति से हैं।
(8)	''लायोग आयोग	" से अभिन्नाम निनवविधालय जनुदान आयोग अधिनियम् 1936 की धारा 4 के तहत स्थापित से है।
(খ)	प्रवेश व	प्रवेश नीति। का अभिप्राय संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी पाइप्रक्रम क अध्ययन कार्यक्रम में लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीहि से है, जिसमें उशके अंतर्गत अने कियार भी शामिल है।
(8)	ीविश्वाचे विश्वविश	यि छात्र जिकावत निवारण समिति'' (डीएसजीआरखी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी यालय के किसी विभाग, विद्यालय या केंद्र के त्तार पर शहित किसी अमिति से है।
(a)	'तिकार शामिल	रत" का अमिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीढ़ित घटत्र द्वारा की गई जिलावल(तें) हैं, नामत
	- L	लंख्यान की घोषित प्रवेश मौति के जनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना,
	й.	संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के शहत प्रक्रिया में अनिधमितताएं:
	18.	चंत्रधान की चौषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना:
	iv.	इग विभियमों के उपकंशे के अनुरूप, शंखा हाश दिवरणिका का प्रकाशन न किया जान:
	۰.	चंत्र्यान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूंती या आमक हो, और तथ्यों पर आधारित नहीं हो,
	vi.	किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दरलावेज जोकि उपयि, किसोमा वा किसी जन्म पुरस्कार के रूप में हो, को अपने पांस रख जेना 11 वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाएयकम पा अध्यवन कार्यक्रन के संबंध में छात्र को किसी खुल्क अथवा शुल्कों, का मुगतान करने हेतु तैयात किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें एनड जव्ययन नहीं करना चाहता हो;
	vii	संस्था की घोषित इवेश मीति में निर्धारित तकि से अधिक धनराशि की मांग करना;
	viii.	छात्रों की विभिन्न क्षेणियों के लिए प्रवेश में सीटी के उल्लाम के संबंध में कांमान में लागू किसी कानून जा संस्थान हाल उल्लापन किया लाए
	jπ,	ऐसे किमी संस्थान की धोषित प्रवेश नीति के तहत, रूपवा आयोग हाला विहित किन्ही शतौं, धाँद कोई हों तो, के तहर किसी भी प्राय हेए डाह्य छाज्यूति वा वितीय सहस्थता का भूमतान नहीं किया जाना अधवा विलग्ध से भुगतान किया जाना,
	x.	संस्थान के रीक्षणिक कैलेंडर में, अववा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर ने विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में, अववा परीक्षा के परिणामों की घोषण्ट में वितम्ब करना;
	xi.	विवरणिका में यथा उल्लिखित, अधवा संस्थान हाल लागू किली कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में शंक्यान हाथ विपक्ष रहना,
	xii.	छाजों के मुल्यांकन के लिए संस्थान हाच अपनाई गई पैर— पारवली अच्चा अनुचित पढतियाँ.
	xiii.	ऐसे किसी छात्र को सुरक्ष के प्रतिदाय में विसंध करना, अधवा इंकार करना जोकि विवरणिका में चरिलखित समय के मोतर, अधवा जैसा जी आयोग इंगरा अधिसुधित किया जए, के भीतर प्रवेश त्याग देता है:
	xiv.	अनुसुधित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अध्या निशका वेणियों के छात्रों के कथित चेवमाव की जिकायत,
	89.	प्रवेश डिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रयान किए जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवलापूर्ण शिक्षा प्रधान नहीं किया जाना, तथा

_

11-48	nt d] भागत का संप्रथम : आतपालम :
	xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामले के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कागून के दखासव उच्छोंने के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीकन किया जाना अधवा उसे निशान बनाया जाना।
(sp)	"संस्थान" से अभियाम है, जैसा कि संदर्भ हो, अभिनियम के तहत किंती विश्वविद्यालय अवना म्हाविद्याल अगवा किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान से है, अध्यक्ष किंती विशिष्ट किंवा अध्यत्र क्रियाकलाय हेतु किस विश्वविद्यालय के तहत स्थापित किए गए किसी संस्थान से है।
(31)	"संस्थानल छात्र शिकायत निवारण समिति" (आईएराजीआएसी) का अभिप्राय इम विनिधमों के तहत किसे विषयविद्यालय के स्वत कर ऐसी शिकायलों पर कार्यवाडी करने के लिए गठित की गई समिति से हैं ज विषयविद्यालय के किसी की विभाग से संबंधित नहीं हो, उदाहरण के लिए छाजवास और सामान्य सुविधाएं।
(s)	''शोळपाल'' का अमिप्राय इन विनियमों के तडत नियुक्त सोकपाल से है
(0)	"दिवनफिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई भी प्रकाशन शामिल हैं, चाई वह मुद्रित स्वरूप में अधव अन्यधा हों, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इव्युकों चहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पास्वर्थी जानकारी प्रदान करने के जिए ऐसे संस्थान अध्या किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया तया हो.
(स)	' येत्र' का अभिवाय एक भौगोलिक बंद, जिसमें राज्य शामिल हैं. जिन्हें इन विनिधमों को लागू लरने हेर्नु सुकर बनाने के प्रयोजनाये ऐसा नियोगित किया नया हो नामत दक्षिणपूर्वी क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश तिलंगाना, युद्धुयेरी, अंडमान और निकांबर और तमिलनाडु शामिल हैं. दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में केरल कर्नाटक और लक्षडीय शामिल हैं, पश्चिमी खेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, वावर और नजर इन्देली, दगन और वीव शामिल हैं, म्लय क्षेत्र में छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजरव्वन शामिल हैं. उत्तरी क्षेत्र में जन्मू और कश्मीर विल्ली, हिमायल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, विल्ली, उत्तराक्षंड, उत्तर प्रदेश, वलराक्षंत्र और संवीगढ़ शामिल हैं, यूर्वोक्तर क्षेत्र में असम, मेघालय, मिजरेन, गणिपुर, त्रिपुरा, अरुणावल प्रदेश, सिविकम और नागालैंड खामिल है और पूर्वी क्षेत्र में असम, मेघालय, निजरेन, गणिपुर, त्रिपुरा, अरुणावल प्रदेश, सिविकम और नागालैंड खामिल हैं, और पूर्वी क्षेत्र में परिवन्न बंगाल, विहार, झारखंड और ओडिंश शामिल है।
(9)	"राज्य" का अभिप्राय संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र मी शामिल है;
(17)	ाडाज' से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनिधम लागू होते हैं, में नामांकित किसी व्यक्ति अध्या नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्त के इच्छुक व्यक्ति से हैं,
创	"विश्वविद्यालय" से अभियाप अधिनियम की खारा 2 की खांड (ब) में यथा परिधाषित किली विश्वविद्यालय से हैं, अध्यवा जहां संदर्भ के अनुसार, तत्सवंध की खारा 3 के तहत इस प्रकार धोषित किए जाने वाला कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान हो।
(14)	''विश्वविद्यालय छात्र शिकायत निवारण समिति'' (यूएसजीआरस्ती) से अभिप्राय विश्वविद्यालय के स्तर पर वीएसजीआरस्ती, आईएसजीआरसी अथवा सोएसजीआरसी के निर्णय के परिणामस्वरूव जपजी शिकायती पर कार्रपाई करने के लिए इन विनियमों के तहत मदित किसी समिति से हैं।
चिव	मिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तू तथा मूल्य निर्धारणः
۱.	प्रत्येक संस्थान, अपने पाठवाइन या आव्यपन के फिली भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की लिभि से बन से धन साठ दिन की समाचि से पूर्व अपनी वेक्सड़ाट पर एक विवरणिका प्रकारित और/अस्या अपलोव करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्जित होगी, नामत
	(a) प्रत्येक पाठयकन अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए हिड्डण के घंटों, व्यायहारिक राजों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठयक्रमों की सूची लडिन उपयुक्त वार्विधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा मामला हो, द्वारा विनिर्दित्य पाठयक्रम की व्यापक सररेखा.
	(य) फिस सिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्तान हो, उसके प्रत्येक पाठपालम अध्या ज्यायान के कार्यक्रम के संबंध में, उपयुक्त शांविधिक प्रश्निकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;
	(ग) संस्थान हारा विमिर्दिष्ट किसी विशेष पाठण्डाम अथवा अध्यवन जार्यजन में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतन और अधिकराम आयु सीमा सहित रांक्षिक योग्यांत और पावरा की करों,
	40 C

		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III-58C. 4]
		(भ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए जावेदन करने वाले योग्य जम्मीदयानों के चठन की ज़किया, जिसने प्रत्येक पाठवठम अध्यय अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यवियों के चयन के लिए परीक्षा वा इम्महान के विवरण के लंबंध में सभी लंगत जानकारी और प्रवेश घरोका के लिए नियांपित बुढ़क की रात्रि शामिल है.
		(ह) किसी पाठवक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में महीं किए यह छात्री डारा देय शुल्क, जगा हलियों और जन्म प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे मुक्तानों की अन्य निष्ठ्यन और क्वते.
		(ग) शास्ति लगाए जाने और शंवरण किए जाने हेतु निवम/विनिवम् विनिर्दिष्ट हीत्रे अधवा श्रेणिव्द लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिवातन तरि.
		(७) ऐसे संस्थानों में याखिला लेने कले आजें हारा यदि वाठवक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के दूस होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो आजों को प्रतिदाय किए जाने काले हिम्मन मुत्रक और समय प्रभारों का प्रतिवात, तथा लगय सीमा जिसके भीतर तथा पहति जिल्हते जाजों को ऐसा प्रतिवाय किया जाएगा,
		(ज) उनकी हॉसिक मोन्मता विकाग लंकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (गिवमिट/ जम्मामत/ ततिथि) तौर उसके प्रत्वेक सरवय के विकाग अनुभव के शाध;
		(अ) भौतिक और वैज्ञणिक धुनियादी ढांचे और छाज़ावास और इसके शुरुक, पुस्तकालय, अस्पताल अथवा वेडोंग, जहां जात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में आगकारी और विजेषरूप से छाजे द्वारा चेंल्यान में प्रवेश इत्या करने पर इत्या होने वाली सुविधाओं का ब्योरा अंतर्विष्ट हो,
		(त) संस्थान के परिसर के गौतर अववा बाहर जातों हारा अनुरासन बनाए रखने के संबंध में समी संगत निदेश, और विशेषचय से किसी छात्र अथवा छात्रों की देशिंग निविध करने संबंधी ऐसे अनुरासन को बनाए रखने और उनका उत्त्नायन किए जाने के परिपामों और संगत शाधिकि विनिधानक प्राधिकरण हारा इस संबंध ने तैयार किए गए किसी विनिधन के उपबंधों का उत्तरायन किए जाने के परिपामों का खोरा अंतर्विष्ट होगा, तथा
		(c) आयोग हारा यथा विनिर्दिध्ट कोई अन्य जालकारी.
		भारते कि, प्रत्येक संख्यान इस विनिधन के संढ (क) से (ट) में डलिलखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपनीड करेगा, और विभिन्न समाधारणजो और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखला से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनी के गायम से इच्छुक छात्रों और जान जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की और विलाया जाएगा ।
	2.	प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निधोरित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकालन, वितरण या बिकी से कोई लाम अधित नहीं किया जाएगा।
5,	भाव	সিজাযন নিবাংশ নামিরিয়া (एনঅীমাননী):
a .	महा	विद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति (मीएसजीजारसी)
	60	किसी भी वींवित झाव की महाविद्यालय से संबंधित किसी भी जिलापत को निष्नलिक्षित संरथना कली महाविद्यालयी छात्र जिकायत निथारण समिति (सीएकजीआएसी) को मेजा जाएगा:
		(क) भहाविवयालय का प्राचार्य— सम्रापति:
		(ख) प्राचार्य होता शिक्षण जंकाय हो तील वरिष्ठ संदरस्यगणों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– सदस्यगण-
		(ग) महाविद्यालय के छात्रों में से एक डीरोनिचि, जिसे प्राचार्य द्वारा हैक्षणिक योग्यता/खेलकूट में उत्त्युग्टता/सह-पाठय क्रियाकलायों में वसके निष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट क्रिया जाएगा— निर्वेष आमंत्रिति।
	(ii)	सदस्यगणी तथा विक्षेत्र आर्थजेति का कार्यकाल हो गर्फ का होगा।
	(iii)	बैठक के लिए गणपूर्ति, सभाधति,सहित परंतु विशेष आमंत्रिति के अलावा, तीन सदक्यगणों की होगी।
		त्तिकायतों पर विचार करते हुए सीएसजीआरसी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
	5. S.	

ALC 111-554	र्ष 4] भारत का राजभन्न : उम्मरावरण 5
{v}	सीएसजीआरसी रिपोर्ट को अपनी सिफारिसों, यदि कोई हो तों, के शाय संबद्ध करने वाले विश्वविद्यालय के मुलयति को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की उन्होंये के गीलर मेजेगा तथा इसकी एक प्रति मीड़ित घनज को श्री नेजी जाएनी।
, विभागीय	छाउँ शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरडी)
0)	विस्ती भी पीढ़ित आप की विषययिद्यालय से किशी भी विभाग, अधवा विद्यालय, अधवा जेन्द्र से संबंधित विश्वी भी विवल्पत को विमाग, विद्यालय अधवा केन्द्र, जेला भी मागला हो, द्वारा गठित की जाने और निम्नलिखित संरथमा धाली विभागीव छात्र शिकायत निवारण समिति (आँएसजीआरसी) को भेजा जाएगा, नामत
	(क) विभाग, विद्यालय, अध्या संन्यू का अध्यक्ष, धाई उसे क्रिसी भी प्रदर्शाम से जाना जाए- समायति,
	(%) विभाग/पियालय/केन्द्र के बहर से कुलपती हारा नावनिष्टिंधर किए जाने वाले हो अलाई- सदस्य.
	(ग) संकाय का सदस्य जो शिकायत निवारण की प्रणाली से मजी- भागि परियित हो, को सभापति द्वारा नामनिर्दिग्ट किया जाएण- सदस्य
	(ঘ) মন্তবিয়ালের ক ভারা ন র ফ রারিনিমি, নিন্দ নুরুদ্দি রান বাঁধনিক রান্ধনা/জিবকুর ন রন্দ্র্যলো/বল-বাত্র জিমাজলান্দ ন ভারত শিল্লাহন ক রায়াং দন নামনির্বিষ্ঠ ক্রিয়ে রাহণা– যির্বাদ আনস্থিনি
(11)	समापति. समिति के सदस्यों और विशेष आमंत्रिति का कार्यकाल दो क्षत्रों का होगा।
	वीएसजीआरसी की बैठक छे लिए गमपूर्लि, समापति सडित परंतु विशेष आर्माप्रेति के अलावा, तीन सदस्यगणों की होगी।
(irv)	अपने समक्ष प्रश्तुत जिलायतों पर विवान करते हुए अँग्रजजीआरमी नैसर्गिक न्याय से जिखाती का पालन करेगी।
(v)	औएराजीआरकी अपनी रिपोर्ट को सिफाहिलों, यदि छोई हो तो, के साथ संस्थान के मुखिया/ कुलपति को निकायत प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के मीतन मंजेगा तथा इसकी एक प्रति पीढ़ित छाव को मी मंजी जाएगी।
संख्यागत	छात्र शिकायत निवारण सनिति (आईएसजीवारसी)
	जब हिलाधत किसी विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक विभाग, विद्यालय जयवा केन्द्र, जेसा भी माम्रज्य हो, से संबद्ध गईी हो तो मामजे को फुल्पनि महोदय हारा गिण्डात संरचना के साथ गरित की जाने वाली एक संरथागत छात्र डिफाया निवारण समिति (अर्ड्शराजीआरसी) को भेजा जाएगा, नामत
	(क) संस्थान का सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष/बरिश्व जाशार्य- समापति
	(छ) छात्र संकाय अध्यक्ष/ लंकाव अव्यक्ष, सात्र कल्पाण संदर्श,
	(ग) समापति के अलावा एक वरिध्व शिक्षाविद्- शदश्य
	(प) कुलानुरासक/वरिण तिसाविद- सदस्य
	(ठ) मतायिद्यालय के छात्रों में से एक प्रतिगिधि, जिसे मुज़बदी हारा डीक्षणिक योश्वता/खेलकूव में उत्यकृष्टता/सह-पावद क्रियाकलाचे में तसके गिष्पादन के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा– यित्रेष आगश्चिति।
(60)	लमिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
(kiii)	सर्बएसजीआरसी की बैठक के लिए गणपूर्ति, लमापति सहित परंतु दिशेष आमजिति के अलभा, तीन सदस्यगणी की होगी।
	अपने समया प्रस्कृत शिकायतां पर वियार करते हुए आईएसजीव्याश्ती नैसनिंक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी।
	आइंएसजीआरसी अपनी रिपोर्ट को लिकारिकों, खंदे कोई हो ले, क्रें साथ कुलपति को क्रिकायत इडिंग की हिथि से 15 दिनों की अवधि के मौतर मेजेगा तथा इसकी एक प्रति योड़ित छात्र को भी मेजी कारगी।



22

ald III-film	
	(ग) शाज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला एक राज्य निजी विश्वविद्यालय का कुलपति– सदस्य.
	 (ii) राज्य उच्चतर जिल्ला चरिषद का आव्यक अभवा परिषद के रीक्षणिक सदस्यों में तो उनका नामिति- तावरय;
	(ठ) उच्चतर झिक्षा के लिए उत्तरदायी राज्य चरकार वो प्रधान संधिव/शतिग– संवरच संघिव:
(v)	ढंद्र शरकार ड्रस प्रयोजनार्थ गटित एक खोज सभिति डारा शुझाए गए तीन नामों के पैनल में से लोकपाल की निमुक्ति करेंगी, जिसने निम्नलिसिक जामिल होंगे, नामत
	 (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय अथवा उनके नामिति— नामापति;
	(स) किसी कंन्द्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति जिसे कंन्द्र लरकार द्वारा मामनिर्दिष्ट किया जाएगा- ग्रावरय;
	 (ग) किसी सम विश्वविद्यालय संस्थान का कुलपति जिसे छेन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए- सदस्य,
	(य) कोष्ट्र सरकार का नामिति जोकि संयुक्त धनिव के पद से नीचे न हो- सदस्य:
	(#) विश्वविवद्यालय अनुदान आयोग के सरिव महोदय~ सदस्य संधिव
(vi)	लोकपाल को यह पहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा संसर वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो की पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा, और वह समान राज्य या क्षेत्र के लिए, जेवा कि सम्मला हो, एक और कार्यकाल के लिए पुनर्गियुक्ति होने के लिए पात्र होगा।
(vii)	सुनवाई का संचालन करने के लिए, लोकपाल को, याजा भर हुए किए नए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित विश्वविद्यालय अनुवान आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मानवंडों के अनुसार, प्रति दिन, प्रति बैंडक के आधार पर मुल्क का भुगतान किया जाएगा।
(viii) राज्य के लोकपाल के मामले में राज्य लरकार डारा और किसी क्षेत्र के लोकपाल के मामले में केन्द्र सरकार डारा लोकपाल को इम विनिधमी के तहत यथा परिभाषित कवाचार या चुर्थ्यवहार के आरोप लिख होने पर पद से हटाया जा नकारा है।
() x)	क्षम से कम उच्च न्यायालय के न्याधायील के नद पर आसीन न्यायमूर्ति हारा की मई जांच के अलाम लोकपात को चदच्युन करने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, और इस प्रकार की मई जांच में लोकपात को चुनवाई का एक उधित अवसर मी प्रदान किया जाएगा।
स्रोकपाल	के कार्यकरण :
6)	लोकपाल, क्षात्र द्वारा इन विनियमों के लंडत उपबंधित सभी विकर्त्यों को अपनाने के परधारा ही पीकित छात्र की अपील की खुनवाई करेंगे।
(60	यवापि, पर्देक्षा के संघालन में अववा मूल्योकन की प्रक्रिया में पड़बड़ी के मुद्दे को लोकपाल के संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल हास उसर पुरिसकओं के पुनर्मूल्योकन अध्यय अंकों को पुन योग करने हेलू कोई अपील अध्या आवेदन पर लोकपाल हास सुनवाई नहीं की जाशगी, जब तक कि मेथनाव की किसी विज्ञिप्ट घटना के परिणामों को प्रभावित करने वाली किसी विज्ञिप्ट अनियमिताता को इंग्वित नहीं किया जाता है।
(111)	लोकपाल, कवित रूप से किए गए मेथनाव जी शिकायरों की शुलधाई करने के लिए, न्याय– मित्र वे रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।
(iv)	लोकपाल मीकित वात्र(ज) से अपील प्राण होने के 30 दिनों के प्रीतर शिकावतों का समधान के लिए सभी प्रयास करेता।
. लोकपाल	तथा छात्र शिकायत निवारण समितियाँ द्वारा शिकायतों के निवारण हेतू प्रक्रियाः
<u>0</u> ;	प्रत्येक संरक्षण, इस अभियूचना के जाये होने की तिथि से तीन मांड की अवधि के मीतर एक ऑनजाइन पोर्टल तैयार करेंगा, जहां कोई भी पीड़ित धात्र अपनी तिकरयत के निवारण के लिए आवेदन कर सकरता है।
6) औनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के मौतर अपने टिप्पणियों सहित शिकायत को उपयुंब्ल छात्र शिकायत निवारण समिति को मेंजेगा।
	<i>a</i> :

 (iii) छात्र किलायत निवारण समिति, जैला भी ममलत ही सिलायत वी सुनयई के लिए एक लिपि मिश्नेरित करने मिशन कर से से प्रिंत जर को से विज्ञे करनी जिलायते जरकरारी संस्थान और पीड़ित जरक को दी जएगी। (iv) पीड़ित छात्र या तो साठिकत रूप से पीड़ेत जरक को दी जएगी। (iv) पीड़ित छात्र कामक निवारण समिति हाउ समाधन गई की पई जिलावती को इन सिभिज्यों में उपयमित जमयावधि के मीतर तोजपाल की फैजा जरगा। (vi) विद्यविद्यालय प्रेया कर स्वयता है। (vi) विद्यविद्यालय स्वयता के दीध निव्दान हेंदु तोवचक अख्या धात्र विकायती को इन सिभिज्यों में जमवती है जो हते सिभा के सिथ्जे करेंगे करने के स्वयता के सात्र करेंगे करेंगे करने साथक कि का जरगा। (vi) लोकचळ, दोनों पक्षे को सुने जमें वा एवा दीवित अतार प्रदान करने के बाद कार्यविद्य लगा हमार हीया सरायों के साथ की स्वर्थ के सेविंद का प्राय दीवित अतार प्रदान करने के साद कार्यविद्य लगा हमार हीया साथक कि का करने के साथ की साथ प्रायुक्त करें साथ प्रायुक्त करेंगे वा स्वर्थ के साथ के साथ के आवार प्रदान करेंगे। (vii) लोकचळ, दोनों पक्षे को सुने जमें वा एवा दीवित अतार प्रदान करने के याद जार्यविद्य लगार होगा होता को स्वर्थ के से प्रित का को साथ प्रायुक्त की साथ प्रायुक्त करें। (viii) लोकचल के साथ ही साथ प्रायुक्त को स्वर्थ के साथ प्रायुक्त करें साथ प्रायुक्त करें। (viii) लोकचल की साथ ही साथ की अन्द्र आदे की की की सी की सामान दास सिभारिक्तों का अनुपालन न्वी किए रात्रे वा साथ ही साथ प्रायुक्त करें। (viii) लोकचल कु सी या प्राय सिही का उनुपाल करेंगा कि साय प्रायुक्त की स्वर्थ के सार प्रायुक्त करें। (viii) लेकवल सुती या सुख्य सार्य की की देते की स्वर्थ में खानकार ही जिपाय सिभार साथ दिया के साथ से साथ साथ करें के साथ के साथ स्वर करें। (vi) वा सेवा कि कि सार साथ सिंध के साय का साथ की साथ प्रायुक्त की सिभार वित्र कि साथ साथ साथ करते हैं। (vi) साथ सिंध से साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ से साय करते करा कर से साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ	8	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	(PART III-SEC. 4)
प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है। (v) तिर्वाधितालय छाव कि कीरात निवारण शनिति हाय समाधान शही की गई तिकायतों, वो हुन विभिक्तने के उपाधीत समयावधि के मीतर तोकपाल को फेन जारणा। (vi) संस्थान सिकायों के तीध लिखना हेतु, तोकपाल स्थवा धांव सिकायत नियारण समिति(यो), जीसा भी मापला हो, लहयोन करेंगे, और ऐसा ली बिए जाने पर लोकपाल हाल आयोग को जानकारी दी जा सकती है जो इन विनिधमों के उपार्थ कि अनुरूत कार्यराई वर्शना। (vii) लोकजल दोनों पतों को सुने जोन का एक ठोकत सरावर प्रदान करने के बाद कार्यप्रतियां स्माणा होंगे पा तलवंकी करान्ते तर्हीक इन प्रारक का आदेश जातिक लरेग, जीसा यह जायुद्धल लग्ज तांकि विषयत का समयता हो सक और पीढ़ेत छात्र वो तीसा उपयुक्त हो लहन प्रयान की जा लगे। (viii) संख्यन के साथ ही साथ पीढ़िन छात्र वो लोकपाल के हलाकर के सहार जाती ती सई जादेश की प्रतिया उपलब्ध कराई जाएगी और संरक्षान आदेश की प्रति के समाम्य जानकारी के लिए इसे अगनी वेषसाहन या नी वार्तिण। (x) संस्थान तर्वाच्याल वी सिकायिती का अनुराजन करेगा और संस्थान इस विफायिलों का अनुपालन नदी किए जाने के संख्य में लोकपाल सो सिकायिति का अनुपालन करेगा करे स्थान करेगा। (x) जाते विकायत सुवी था तुख्य यह वाली है जल सिधति में लोकपाल तिकायताव्यार्थ के विरुद्ध है व्याप्ती वेषसाहन या कार्यदेश्री किए जाने की सिकारित का साथता की लाककती प्रयान करेगा। (x) जाते विकायत स्थान विवारण समितियों के संबंध में खानकारी। (x) जाते विकायत विवारण समितिया का साथता है। करान अपनी वेपसाहट और अपनी विवरणिका में देश्र संखानकारी संखान अपनी वेपसाहट और अपनी विवरणिका में साथ संखान करेगा। (x) जाते विकायत के प्रयान्ति के प्रयोगमम गांवरण समिति[यो], तंसा की मासल हो की सिकारिता को अनुपालन नहीं कराय कराया। (b) अनुपालन निवारण समिति[यो, तंसा की मासल हो की सिकारति को आत्र प्रयान को साय करेना, (b) अर्याक्वन निवरण संक्रिको का कार्यजा कर साथ है साक. (b) आयोत के किसा राश्रम के साहत कर्युदान का प्राय स्वर्त है त्यात. (c) अत्युक सीक्रिय से क्राय तश्रक को साहत जुदान कर दे सिका को घोषणा को वायस लेन. (c) अत्युक सिद्धा स्था का सार राश्रम के साहत करा वा सकता है. (d) आत्र के किसा प्रश्नम के साहत करा सार प्रेति करना वी के स्वाय को घोषणा को अपसरक उपस्रित करित प्रयात को आवंदित सरका को ये प्रयाय कर और सा	(iii)	क्षात्र क्षिकायत निवारण समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीढ़ित क्षात्र को दी जाएंगी।	के लिए एक तिथि निर्मारित
 (v) विश्वविद्यालय छन्द्र दिकायत नियारण शांगिति हांच समाधान गहाँ जी गई दिकायलों, जो हम सिनिवर्ण व उपयंधित लमयावधि के मौतर लोकपाल आग्रेका तारागा। (vi) संस्वल- तिकायलों के तीय निष्टान हेतु, तीवयाल आग्रेका छांच तिकायल नियारण लगिलि(या), जीसा भी मानला हो, लहभोत करनें, और ऐसा नहीं किए प्रता संत्रांक हाता आयोग को जानकाली दी जा सबकी है जी हम दिनियानों के जवस्थी के अनुरूत कारंचाई करेगा। (vii) लोकजल दोनों पक्षी को सुने जाने का एक उचित अयता प्रदान करने के माद कार्यव्यक्ष लगता हों। लहभंकी कारलों तरित हम अन्न मान आयेश पालि करेगा जीसा प्रत जायवाल स्वाय हों। प्रता के वाय हो प्राय पालि करेंग जीसा प्रत जायवाल करने के माद कार्यवाल लगता हों। (viii) लोकजल दोनों पक्षी हों जी से के और सैवित छात्र को तीस प्रयुक्ष हम हो जाय हो गाय पालि करेंगा जीसा प्रत जाय पाल गांगे दिखायत का लक्ता हो की लागि हों। का अनुपालन करेंग जीसा का जायव्यक्ष करई कारंगी वेसराइट पर भी बातेंगा। (ix) लोकपाल की लिकारिती का अनुपालन करेंगा और संस्थान दाता विभारिती का अनुपालन नहीं किए जाने के लोकपाल को अनुपालन नहीं। (viii) लोकपाल की लिकारिती का अनुपालन करेंग और संस्थान दाता किंग जीसा का अनुपालन नहीं किए जाने के लोकपाल से को जातकारी के संबंध में लोकपाल का किंगावात हों। (xi) लोकपाल कुछी या तुच्छा पह वाली है उस विधादी में लोकपाल तिकायताकलों के विषय वय्युका कारंतह पर भी बातेंगा। (x) लहां तिकायता नियारण विधारण से प्रयत्न करेगा। (x) लहां विधारता दात्रिय कि प्रयत्न करेगा हो। (xi) लोकपाल तिकायता के सिकारिती का अनुपालन की विधार मिंगा जानकारिती वा व्यक्त करेगा के संव कारकारालों के विषय प्रयत्न करे कार्य सिकायला तिकायता किंगा का तिकायता मिंगा का वालक्र हों। (xi) लोकपाल होती या तुच्छा पर वाली ही हो के संवय में लाक्यला तिकायताकलों के विषय या करंति ही किंग जा विधार से सारंत हो कराय सारित्य के संवय में लानकारी? (xi) लोकपाल के के पर वा ता कार्यल के सारंत हो थे लिकपाल के ताय करता ही कार्यला का कार्यल साय प्रयत्न कर ता ता कार्यल सारंत ता विधार सा तार्यल सारं के ता व्यक्त के साय कर ता ता कराय सारंत ता विधार सा सारंत हो के लोक सार के स्वयत्त के सिकार के कार्य करता के तां कर ता करांत ही साय करा ता ता	(iv)		। रखने के लिए अपने किसी
 (4) संस्थान, सिक्समते के डीघ निष्टान हेंदु, लोकपल अथवा आब किकायत नियरम समिलि(य), जैसा भी मामला हो, लहमोन करने, जैर ऐसा नहीं दिए जाने पर लोकपल हाता आयोग को जानकानी दी जा सकती है जो हुन प्रतिप्रमों के जनकर की कि जा हुन प्रतिप्रमों के जनकर की कि जा के सुराज कि जान का एक कवित के स्वार करने के साह कार्यवादी थी जा सकती है जो हुन प्रतिप्रमों के जनकर की स्वार को सुराज होता का आयोग को लोक लरेग, जैसा यह जायर प्रदान करने के साह कार्यवादी भी जान सांस्थान प्रतान के साह का स्वार के साह को साह की लाक करने ही कि स्वार के साह की साह की लाक को लोकपाल के स्वार हो साह की लाक की लाक की साह की साह करने ही किए प्रतन के साह का साह की साह कर साह की साह का साह की साह की साह की साह का साह की साह की साह की साह	(v)	वित्रवविध्यालय घटन जिकायत निवारण समिति द्वाच समाधान नहीं की गई 5	रेकायतों, को हम विभिवनों में
 भग तारसंखी कारणी लखित, इस प्रकार का आदेश पालि लगेग, पॉसा यह उपयुक्त तमक, तिल हिंक्यम को समयान हो सले और पैवित छात को तीक उपयुक्त हो लहन प्रयान की जा करें। (भों) लंख्यन के साथ ही साथ पीढ़ित छात को लोकपाल के हरसाहर के सहत जारी जी गई जदेश की प्रतिय यथा कर रहे जरंगी और संस्थान जारेश की प्रति के सामत्य जानकारी के लिए इसे अपनी वेषराहट यह सी डातिया। (x) संस्थान, तरिकपाल की सिकारिडों का अनुपालन करेंगा और संस्थान हास विभागित्रों का अनुपालन नहीं किए जाने के संख्य में लोकपाल सायेग यो जानकशी प्रयान करेंगा. (x) संस्थान, तरिकपाल की सिकारिडों का अनुपालन करेंगा और संस्थान हास विभागित्रों का अनुपालन नहीं किए जाने के संख्य में लोकपाल सायेग यो जानकशी प्रयान करेंगा. (x) जहां दिखर जाने की सिकारिडों का अनुपालन करेंगा और संस्थान हास विभागित्रों का अनुपालन नहीं किए जाने के संख्य में लोकपाल सायेग यो जानकशी प्रयान करेंगा. (x) जहां दिखर जाने की सिकारिश कर मचलता है। 9. लोकपाल और सांत शिकारात्य कर मवता है। 9. लोकपाल कर साथ शिकारात्य कर मवता है। 9. लोकपाल कर साथ साथ शिकारात्य कर साथ साथ कर साथ साथ प्रत तथी प्राप्त करता विभागति का जात सिवायक मिवायन पालिही(या) लाभ प्रयोग कि जानक्त साथ मं साथ करता करी साथ प्रत्य का साथ साथ मं स्था में वाली प्राप्त विभागक मियाय साथिति(या), जिसा भी प्राप्त करने के साथ प्रत करता मिया प्रत्यकारिया उपना करता है उनके विकय क्रायोग, विजी भी संख्यान के संथा में लाजनक्तुइक्वर इन विनियमों का उत्स्थाम करते हैं उनको विषय विभाय प्राप्त के साथ प्राप्त करने ही साथ प्रत की साथ प्रत करते हैं, उनके तिकयल आया हो साथ प्राप्त करता है, जनके सिय प्राप्त कराया हो आप प्रयत्त के साथ प्राप्त करता है, उनके विषय प्राप्त के साय प्रत करते हैं, उनके विकयल कार्या के साथ प्राप्त करता है, जनके कि स्वाप्त को साथ प्रत करता है, जनके हैं, वनके विभाय प्राप्त को साथ प्राप्त करा का जानकराई है जमको सिय प्राप्त के साथ प्राप्त करता है, वनके हैं, वाल साथ प्राप्त के साथ प्राप्त के साथ प्राप्त कराया कराकर है साथ प्राप्त करता है, जनकर	(vi)	संस्थान, शिकायतों के शौध निषटान हेतु, लोकपाल अथवा धांव शिकायत । मामला हो, लहयोन करेंगे, और ऐसा नहीं किए जाने पर लोकपाल हाश	निवारण समिति(यॉ), जैसा भी आयोग को जानकारी दी जा
 (viii) संस्थान के साथ ही ताथ गीढ़ित छात्र को लंकपल के एसाकर के साम परी जी नई आदेश की प्रतियां उपलब्ध करही जाएंगी और संस्थान, आदेश की प्रति के सामान्य जानकारी के लिए इसे जपनी वेषताइट पर भी डांतेंगा। (ix) संस्थान, लोकपाल की सिमादिशी का अनुपालन करेगा और संस्थान द्वारा सिमादिशों का अनुपालन नहीं किए जाने के संख्या में लोकपाल, सायोग को जानकारी प्रदान करेगा। (x) जहां शिकायत झूंदी या तुष्ठ पाई जाती है उस नियदि में लोकपाल निकायतावलों के विषद्ध वपर्युक्ष काईबाई किए जाने के संख्या में लोकपाल सावेग को जानकारी प्रदान करेगा। (x) जहां शिकायता झूंदी या तुष्ठ पाई जाती है उस नियदि में लोकपाल निकायतावलों के विषद्ध वपर्युक्ष काईबाई किए जाने की सिंध गिरा कर सकता है। श लोकपाल और घात्र शिकायता नियारण समितियों के संबंध में खानकारी संस्थान प्राणिति त्या सानिकी साथ निकायता निवारण समितियों के प्रायोगनकों लोकपाल वो संघंय में तानी संगत जानकारियां उपनच्य करराएगा। 10 अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम आदीग तिवारण समितियों, संसा भी मानता हो, की सिंधारों को अनुपालन नहीं करते हैं, उनके निरुद्ध निम्बा हुए के साथ शिकायता संपत्त है, जनके निरुद्ध निम्बा हुए का आपनी कि सहार प्रति की मानता हो, की सिंधारों को अनुपालन नहीं करते है, उनके निरुद्ध निम्बाए एक अधवा एक से अधिक करी सारा राजने है, समल तिनारण समितियों, संसा भी मानता हो, की सिंखारियों को आपना को पापस लेग. (ब) संस्थान को सारा 12% से तरात जनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को पापस लेग. (घ) संस्थान को स्प्रांट किस्ता में उन्हा का क्यांत स्थान है। ससत (घ) संस्थान को स्प्रांट किस भी अनुपान फा के सामने ये तरात किनी भी सतायता को जाम करने है। यियार किए आने के लिए साया प्रितिक करना. (घ) संख्यान को स्प्रांट कर आया देशेव सहत्या कार्यक्रान की घोषणा को साथत लेग. (घ) संख्या मे प्रायुद्धता को प्राय परित करना. (घ) संख्यान को स्प्रांट कि स्पार प्रांथ के आव परा ते स्पर के साया ता स्थान के लिए जन्दा कि त्युत न ही दियार करा करना. (घ) संख्यान को स्प्रांट कर और प्रायोग को साया राजि करना. (घ) संख्यान को स्प्रार कि प्रायो की प्राया प्रायित करना. (घ) संख्या को स्प्रा के	(vii)	पर नालावंधी कालगाँ लगित इस प्रकार का आदेश पालि जरेगा. जैस	ा मह जपयुक्त समझ, ताव
 हिए जाने के संबंध में लोकपाल, सायोग को लागकारी प्रदान करना। (X) जहां दिकायता झूटी था तुपछ पाई जाती हैं उस निधति में लोकपाल जिलावदावलों के विरुद्ध वपयुंका कार्यवाई किए जाने की सिफारिश कन सकती हैं। 8. लोकपाल और भात शिकायता निवारण लगितियों के संबंध में खानकारी: संस्थान अपनी वेवसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्टरूप से इसके क्षेत्रधिकार में आने वाली प्राप्त विकाय निवारण निवारण हाकिति(मी) लया अपील किए जाने के प्रयोजनवर्ध लोकपाल को संबंध में लगी संगत जानकारियां उपनाय करताएगा। 10. अनुपालन नहीं किए आने के परिणाम आवाग, किसी भी शंख्यान के संबंध में लो जानसूहकार इन विनिधमी का उललपान करती हैं अध्या बार- का लोकपाल अथनी प्रियान संगति में शंख्या ने के संपत्त जानकारियां उपनाय करताएगा। 10. अनुपालन नहीं किए आने के परिणाम आवाग, किसी भी शंख्यान के संबंध में लो जानसूहकार इन विनिधमी का उललपान करती हैं अध्या बार- का लोकपाल अथना किसायल संगति का वार्यकार हैं, पानता की संवार करता है, उनके निवद अथवा एक अथवा एक से अधिक कार्यवाहिया कर सकती हैं, पानता (क) अधिविधम की घारा 12% के लहत अनुपाल प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वायस लेना. (व) संयान को सर्वहित किसी में जनुदान को रोका जा लकता है. (भ) आपीन के किस में सम्पान को अधीम्य घोषित करना. (भ) आपीन के किसा में प्रमुखल से प्रार्थित कर और आयोग की वेवसाइट पर योत्तर कर लंगलित अन्धर्वियो लाहि सारावायर को स्तुपित करना, तक्ष इस वायत घोषण करना की संख्यान में विवरणत के लियल्ग के नियत्ता की लियालय के सिद्ध से संख्यान की अधीम्य घोषित करना. (भ) अपयुक्त नी प्रान्त है है. (भ) सायतिशास के समल्त में संसद्ध कर वार आयोग की वेवसाइट पर योत्तर कर लंगलित अन्धर्वियो लहित नुपलि को लिए संस्थान को वापान लेने के लिए सबद्ध विश्वविद्यालय को लियल्य के लियल्य के लियल्य के लि सुपलित की दि ही है. (भ) सायतिशास के सालत के सायत्त को वापास लेने के लिए सबद्ध विश्वविद्यालय को लियल्य के लियल्य के लिय क्या हो है. (भ) सायतिशास क संस्थान के मामले में इन प्रकार वी कार्यवाई करचना, जो आवश्यक, लयपुक्त की सुपलिय करी ही. (भ) साय विश्वविद्यालय संस्थान के साम विश्वविद्यालय की सियल्यि संस्था के स्वेश संयारा के लियल	(viii) संस्थान के साथ ही साथ पीढ़ित छात को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत प उपलब्ध कराई जाएंगी और संस्थान, आदेश की इति के सामान्य जानकारी	वरी जी गई आदेश की प्रतियां
 (X) जहां शिकायत झूंटी था तुम्छ पहुं जाती है उस विधति में लोकपल लिकायतकले के विषद्ध वपटुंका कर्तबाई किए जाने की लिकारिश जन सकती है। श लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण लवितियों के संबंध में जानकारी: संख्यान अपनी वेबसाइट जॉर अपनी विपरणिका ने स्फटल्य से इसके क्षेत्रविकार में आने वाली छात्र विजायत निवारण लविति(में) लाग अपील किए जाने के प्रयोजनको लोकपाल के संबंध में लगी संगत जानकारियां उपनाय कररएगा। 10. अनुसालन नहीं किए आने के परिणाम आवाग कियात निवारण समिति(थे), जंसा की मामला हो, की सिकारीको को उपलाय करती हैं अध्या वार- का लोकपाल अथवा शिकपात निवारण समिति(थे), जंसा के संबंध में लगी हैं, जनके विजयत अथवा शिकपात के संबंध में लगी संगत जानकारियां उपनाय करताए एक स्थात शिकपात के संबंध में, जो जानसुहकर इन विनिधमों का उपलपान करती हैं, उनके निवद अथवा शिकपात निवारण समिति(थे), जंसा की मामला हो, की सिलारिको को अनुमालन नहीं करती है, उनके निवद अथवा शिकपात कि सारा 12% ने तहत अनुपाल प्रारंत किया के अपना के अपना के संबंध में, जो जानसुहकर इन विनिधमों का उपलपान करती है, उनके निवद अथवा एक से अधिक कार्यवाहिया कर सकती है, बानका (अ) अधीरित के सारा 12% ने तहत अनुपान आर्थत करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेन. (अ) संखान को आयंटित किसी भी अनुपान को रंगि कराता कि किसी भी सरायता को जाय करने हैं, विययत किए जाने के लिए संखान के सात किया के साथ करने हैं, वासकर कि आयोग की अपीय घोलित करना। (घ) त्यसुक मीडिया में प्रमुखल के प्रयतित कर और आयोग की देवताइट पर पंतर कर लंगतित अन्यविंयी लियि जनस्थित किए जाने के जित्त सिंह किस्ता की स्थानयता की लिकायता के लिय जा पुर्वला मातक मैं है है. (अ) समझ के स्प्रेंत स्वर में संख्यक्त को पापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिंगरित करना. (घ) सम्र विश्वविद्यालय के समले में साम प्रें के साथ परित करना, लो आवस्यक, जयपुक्त की त्यूपला मात्त है. (अ) सार विश्वविद्यालय के समले में साम दित्व कियार वी कार्याई करना, जो आवस्यक, जयपुक्त की प्रति ही प्रती है. (अ) सम्र विश्वविद्यालय के समले में समले में हम्वाविद्यालय के सत्र में घोताना को याम लिया जा के हिए परिव आवस्य क हो तो, केई वरकार को सिंगरिक करना. (अ) सम्र विश्वविद्यालय के समल	(ix)	संस्थान, लोकपाल को सिकारिको का अनुपालन करेगा और संस्थान डांग किए जाने के संबंध में लोकपाल, आयोग को जानकारी प्रदान करेगा।	शिफारिशों का अनुपालन नडी
 लोकपाल और घात्र शिकायत निवारण सवितियों के संबंध में खानकारी: संस्थान अपनी वेवसाइट और अपनी विवरणिका में स्थल्लय से इसके क्षेत्रविकार में आने वाली छात्र विवायत निवारण सपिकि(में) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनकों लोकपाल के संबंध में लगी संगत जनकारियां उपनय कराएगा। अनुपालन नहीं किए आने के परिणाम: आवोग, किसी मी संस्थान के संबंध में जो जानवृद्धकर इन विनिधमों का उल्लंघन करती हैं अख्या यार- कत लोकपाल अथवा विकायत निवारण समिति(थी), जेसा भी मामला हो, की सिकारियों को अनुपालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध निम्प्या एक अधवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकती हैं, वान्स्य जिल्ल्या एक अधवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकती हैं, वान्स्य (क) अधिनियम को सारा 12% के तरहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेग. (व) आयोग के बासा 12% के तरहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेग. (व) आयोग के बिरसी भी लामान्य अधवा विरोध सहायता कार्यक्रम के तरत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हैं, विवार किए आने के सिए संस्थान को अयोग्य घोलित करना. (व) अपयुक्त मीडिया में प्रामुख्तता से प्रवर्शित कर और आयोग की विकाराहर पर पोस्ट कर संगतित अन्यवियो सहि जनस्थायरण को स्टूपित करना, तथ्य इस वायत घोषणा करना की विकारिय करना. (व) उपयुक्त मीडिया में प्रायुक्त को पायसित करना. (व) महाविधालय के मामले में संबद्धता को पायस लेने के जिस् से बात्रकान के निकारित करना? (व) उपयुक्त मीडिया में प्रायुक्त को पायस लेने के जिस सद्ध विरंधविद्यलय की लिकारित करना? (व) प्रायुक्त विद्य संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवस्थक, उपयुक्त की स्पूर्णन की स्ट्रांत ही? (व) सामलिय से स्थान के सामले में साम विश्व विद्यालय के सामले में राया वा विद्य किंग्र करना. (व) साम विरंधविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवस्थक, उपयुक्त की स्वर्गि की प्रायी ही? (व) सक विरंधविद्यालय संस्थान के मामले में हम विश्व विद्यालय के स्थान के सामल के वायत की कर्या के सिंग की प्रायित हरे. (व) सक विरंधविद्यालय संस्थान के मामले में हम प्रकार की कार्यवां करना, वो आवस्थक, उच्या की कर्या की स्वर्ग की स्वर्य साम के सिंग तरि करना. (व) साम विरंधविद	(x)	जहां शिकायत झंडी था तुच्छ पाई जाती है उस निधारी में लोकपाल कि	हायतवली के विश्वद्व उपयुंबत
संस्थान अपनी वेवसाइट और अपनी विवरणिका में स्वयत्भव से इसके क्षेत्रविकार में आने वाली प्राप्त विवया निवारण सविति[मी] त्या अपील किए जाने के प्रयोजनर्था लोकवाल के संघप में तभी संगत जानकारिया उपनेक करएगा। 10. अनुष्पलन नहीं किए आने के वरिणाम आयोग, किसी मी संस्थान के संबंध में जो जानवृड़कर इन विनिधमों का उल्लंपन करते हैं अववा बार- कन लोकवाल अथवा विकयत निवारण समिति(यी), जेला भी मामला हो, की विक्वारियों को अनुपालन नहीं करते हैं, उनके निरूद विभवना एक अधवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकती हैं, नास्त (क) अधिनिधम की सारा 12% से तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उमयुक्तता की घोषणा को वापस लेग, (व) अधिनिधम की सारा 12% से तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उमयुक्तता की घोषणा को वापस लेग, (व) आयोग के सिल्सों भी सामान्य अधवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी तहायता को प्राप्त लेग, विवार किए आने के लिए संस्थान को अयोग्य प्रेलित करना है. (व) आयोग के किसी भी सामान्य अधवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी तहायता को प्राप्त करने हैं, विवार किए आने के लिए संस्थान को आयोग्य प्रेलित करना. (व) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रवर्तित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर संगतित अन्धर्थियों सहिए जनसायत्वयर को स्टूपित करना, तथा इस बाबत धोषणा करना की तंस्वान में तिकारिश करना. (व) उपयुक्त मीडियालय के मामले में संबद्धता को पापस लेने के लिए सबद्ध विश्वविद्यालय को सिकारिश करना. (व) महाविद्यालय के मामले में संबद्धता को पापस लेने के लिए सबद्ध विश्वविद्यालय को सिकारिश करना. (व) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवयका, उपयुक्त और लदीम प्रतीह हो. (अ) सक विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवरका, उपयुक्त और लदीम प्रतीह हो.	 ओका 		
 अनुपालन नहीं किए आने के परिणाम: आयोग, किसी भी संस्थान के संख्य में, जो जानबुझकर इन किंग्रेप्रभी का उल्लंघन करते हैं अध्या यार- कर लोकपल अध्या शिकपत निवारण समिति(यें), जेला भी मामला हो, की लिकारिशों को अनुपालन नजीं करते हैं, उनके निरुद्ध जिनवत् एक अध्यत एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकते हैं, यान्त्र (क) अधिनियम की घारा 12% के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) अधिनियम की घारा 12% के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) अधिने की घारा 12% के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) आयोग के किसी भी लाग्रवान को रोका जा सकता है. (व) आयोग के किसी भी लाग्रवान को उपरेग कार्यक्रम के राहत किसी भी ततायता को झाम करने हैं। विवार किए आने के लिए संस्थान को अपोग्य घोतित करना. (u) उपयुक्त भीडिया में प्रमुखता से प्रवर्तित कर और आयोग को देवसाइट पर पोस्ट कर संगातित अन्धर्वियां सरिप जनसम्बद्ध को सुपित करना, लक्ष इस बाधत धीषणा करना की संस्थान में शिकायती के निवारण का ति मराविद्यालय को सुपित करना, लक्ष इस बाधत धीषणा करना की संस्थान में शिकायती के निवारण के लि मनुस्थान मानक भीखुद नही हैं. (a) महाविद्यालय में मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त जीत लगीन मुरीत है. (b) सान विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और सादीम प्रतीत है. (b) सान विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और सदीम प्रतीत है. (b) सान विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्यवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त जीत सदीम प्रतीत है. (a) सार विश्वविद्यालय के मामले में इन प्रकार को कार्यवाई करना, के लिए, यदि आवरयक हो तो, केंद वरकार को सिरकविद्यालय संस्थान के रहमा में राज्य सरकार को आवश्यक वांवत कार्यवाई करनो की सिरकरित करना: 	संख्यान निवारण	अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्टरूप से इसके क्षेत्राधिकार समिति(मी) ल्या अमील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल वो संबंध में स	में आने वाली छात्र शिकांपत थी संगत जानकारियां उपलब्ध
अयोग, किसी में। संस्थान के संबंध में, जो जानवुद्धावर इन विनियमों का उत्सांधन करते हैं अववा धार- बन लोकपाल अथवा शिकायत निवारण समिति(वो), जेता भी मामला हो, की सिकारिशों को अनुमालन नहीं करते हैं, उनके विस्त्र निमनवत् एक अधवा एक से अधिक कार्यवाहियां कर सकते हैं, वान्तत (क) अधिनियम की बारा 12% के लहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) अधिनियम की सारा 12% के लहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) अधिनियम की सारा 12% के लहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेगा. (क) आधीन के किसी भी सामान्य अधवा विशेष सहायता कार्यक्रन के गहता किसी भी सहायता को प्राप्त करने हैं, विवार किए आमें के लिए संस्थान को अधोग्य घोषित करना. (व) अपयुक्त मेंदिया में प्रमुखला से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर संगाधित अन्यर्थियों सहिए जनसायत्वा को स्ट्रीयत करना, लख इस बाधत घोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लि नुमुलाम मानक मौजूद नहीं हैं. (व) महाविद्यालय के मामले में संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिंगारिश करना. (व) समझियालय में सामले में संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिंगारिश करना. (व) सान विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवश्यक, अवयुक्त और सदीन प्रतीत हो: (b) सान विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्यवाई करना, जो आवश्यक, अयुक्त और सदीन प्रतीत हो: (a) राध्य अधिनिवम के ताल स्थानित अध्या निगमित विश्वविद्यालय से मामले में राज्य नास्वार को आवश्यक जी राधित कार्यवाई करने की लिफारिश करना: -			
 (क) अधिनियम की सारा 12% में तहल अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को पापस लेगा. (b) संस्थान को सार्थटित किसी भी अनुवान को रोफा जा सकता है. (a) आयोग के किसी भी सामान्य अध्यद्य विशेष सहायता कार्यक्रम के तहता किसी भी सहायता को प्राप्त करने हैं। विवार किए आमे के लिए संस्थान को आयोग्य घोलित करना. (u) जपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की देवसाइट पर पोस्ट कर संगादित अन्यर्थियां तरिए जनसायत्वरण की स्ट्रीपत करना, लेख इस बाबत घोषणा करना की संख्यान में डिकायती के निवारण के लिप जनमंद्र पानसायत्वरण की स्ट्रीयत करना, लेख इस बाबत घोषणा करना की संख्यान में डिकायती के निवारण के लिप जनसायत्वरण की स्ट्रीयत करना, लेख इस बाबत घोषणा करना की संख्यान में डिकायती के निवारण के लिप पनुस्तान मानक मौजूद नहीं हैं. (b) महाविद्यालय के मानस्ते में संबद्धता को यापस लेने के जिर संबद्ध विश्वविद्यालय को सिम्मारिश करना; (u) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मानस्ते में इस प्रकार की कार्रवाई जरून, जो आधरवक, अवयुक्त और सदीय प्रतीत हो: (b) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मानस्ते में इस प्रकार की कार्रवाई जरून, जो आधरवक, अवयुक्त और सदीय प्रतीत हो: (b) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मानस्ते में इस प्रकार की कार्रवाई जरून, जो आधरवक, अवयुक्त और सदीय प्रतीत हो: (b) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मानस्ते में इस प्रकार की कार्रवाई करना, के लिए, यदि आवरयक हो लो, केंद्र वरकार को सिकायित करना. (a) राज्य अधिनियम के तहत स्थानित अध्या निगमित विश्वविद्यालय के मानले में राज्य नारकार को आवश्यक राधित कार्रवाई करने की सिफारित करना: 	आयोग, अक्षण	किली भी शंख्यान के संबंध में, जो जानबुझकर इन डिनियमों का उत्संघन करने फिल्ट्यन दिवारण समिति(दी), जेला भी मागला हो, की लिकारियों को अनुपार	रे हैं अध्यय बार- बन लोकपाल रन नहीं करते हैं, उनके निरूद
 (ख) संस्थान को आवंदित किसी भी जनुवान को रोका जा सकता है. (ग) आयोग के किसी भी सामान्य अधवा विशेष सहायता कर्यक्रन के तहत किसी भी सतायता को ज्ञास करने हैं। विवार किए आमे के लिए संस्थान को अयोग्य प्रोतित करना. (घ) तपयुक्त मीविया में प्रमुखता से प्रवर्तित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर संभातित अन्धर्वियां सीस जनस्वायत्य को स्टुपित करना, तथर इस बाधत प्रोधणा करना की तंबसाइट पर पोस्ट कर संभातित अन्धर्वियां सीस जनस्वायत्य को स्टुपित करना, तथर इस बाधत प्रोधणा करना की तंबसाइट पर पोस्ट कर संभातित अन्धर्वियां सीस जनस्वायत्य के स्टुपित करना, तथर इस बाधत प्रोधणा करना की तंबसाइट पर पोस्ट कर संभातित अन्धर्वियां सीस जनस्वायत्य के मामले में संबद्धता को यापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की सिमारिश करना, (छ) महाविद्यालय संस्थान के मामले में इन प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उपयुक्त और सदीम प्रतीत हो: (७) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उपयुक्त और सदीम प्रतीत हो: (७) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में हम प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उपयुक्त और सदीम प्रतीत हो: (७) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में हम प्रकार की सायता संस्थान के रुप्त में घोताना को यापस लिया जा के लिए, यदि आवश्यक हो लो, केंद्र वरकार को सिफारिश करना, (अ) राज्य अधिनित्रम के तड़त स्थानित अस्ता निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य नारकार को आवश्यक जी राधित कार्रवाई करने की सिफारित करना; 	ter) a	अभिक्रम की प्राय 12% के लाग अनदान प्राप्त करने के लिए उपप्रकाश की घो	वना को वापस लेगा,
 (ग) आयोग के किस्ती भी सामान्य अध्या दिशेष सहायता कार्यक्रम के ताता किसी भी सहायता को ज्ञाय करने हैं। विवार किए आने के लिए संस्थान को अयोग्य योगित करना। (य) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखला से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर लंगातित अन्यर्थियां तरिंग जनसंख्यात्रण को स्ट्रुपित करना, लक्ष्ट इस बाबत धोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए जनसंख्यात्रण की स्ट्रुपित करना, लक्ष्ट इस बाबत धोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए जनसंख्यात्रण की स्ट्रुपित करना, लक्ष्य इस बाबत धोषणा करना की संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए जनसंख्यात्रण के मान्यते में संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना; (छ) महाविद्यालय के मान्यते में संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना; (घ) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मान्यते में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, जवयुक्त और लटीन प्रतीप हो?: (छ) साम विश्वविद्यालय संख्यान के मान्यते में हम प्रकार की कार्रवाई करना, जो आवश्यक, जवयुक्त और लटीन प्रतीप हो? (छ) साम विश्वविद्यालय संख्यान के मान्यते में साम विश्वविद्यालय संख्यान के रूप में घोशना को यापस लिया जा के लिए, यदि आवश्यक हो लो, केंद्र वरकान को सिफारिश करना, (अ) राज्य अधिनिवम के तडल स्थानित करना; (अ) राज्य आधिनिवम के तडल स्थानित करना; 			
 (घ) समयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की देवसाइट पर पोस्ट कर संभावित अन्यर्थियों सहिए सनरसंघ्रायण को स्ट्रीयत करणा, तक्ष्व इस बाबत धीषणा करना की संख्यान में शिकायतों के निवारण के लि न्यून्सम मानक मौजूद नहीं हैं: (छ) महाविद्यालय के मामले में संबद्धता को यापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना; (घ) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और लदीन प्रतीप हो; (छ) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और लदीन प्रतीप हो; (छ) सम विश्वविद्यालय संख्यान के मामले में सम विश्वविद्यालय संख्यान के रूप में घोशाणा को यापस लिया जा के लिए, यदि आवश्यक हो लो, केंद्र वरकार को सिफारिश करना; (अ) राज्य आविनियम के सड़ार स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय वे मामले में राज्य नारकार को आवश्यक जी तवित कार्रवाई करने की सिफारिश करना; 	00 2	गयोग वे किसी भी सामान्य अववा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी !	गै सहायता को झप्स करने हेर्
 (म) सम विषयविद्यालय संस्थान के नामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और सदाप प्रतीत हो; (फ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोशाना को वापस सिथा जा के सिए, यदि आवरयक हो तो, केंद्र जरबान को निम्कदित करना, (अ) राज्य अधिनिवम के तहल स्थानित अध्यत्त निर्मापित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक जै चायत कार्रवाई करने की निम्कारित करना; 	(घ)	त्रययुक्त भौतिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट जनसम्प्राप्त्रण को स्ट्रुपित करना, तक्ष्य इस बाधत धोषणा करना की संस्थान में चलतम मानक भौजद नहीं हैं:	BlackU to theread as the
 (म) तम विषयविद्यालय संस्थान के नामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो आधरयक, उपयुक्त और सदाप प्रतीत हो; (भ) तम विश्वविद्यालय संस्थान के मानले में तम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोराणा को यापस सिथा जा के लिए, यदि आवरयक हो तो, केंद्र वरकार को निम्फदित करना, (अ) राज्य अधिनिवम के तहल स्थापित अध्यत्र निर्णायित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक औ यायत कार्रवाई करने की निम्पतरित करना; 	(8)	महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस खेने के जिए संबद्ध विश्वविद्यालय व	हो सिग्रगरिश करना;
के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र तरकार को सिफवेशन अल्म। (अ) राज्य अधिनिवम के तहल स्थापित अभया निगमित विरुधविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक जें रावित कार्रवाई करने की सिफवेशि करना:	(11)	थम विषयविद्यालय संस्थान के नामले में इस प्रकार की कार्रवाई करना, जो : वगीत हो:	आधरयक, अभयुक्त और शदीब
रुधित कार्रवाई करने की निफारिंग करना:	2,03	के लिए, वर्षि आवश्यक हो तो, केंद्र बरकार को निफर्वरेण करना,	
(ह) गैरअनुपालन के लिए संस्थान के विरुद्ध ऐसी अन्य कर्लवाई करना जो आवश्यक और उचित समझी जाए।		उचित कार्रवाई 'करने यी' सिफारिंस करनाः	4
	(8) 4	व-अनुपालन के लिए संख्यान के विरूद्ध ऐसी अन्य कर्तपर्थ करना जो आवश्या	१ और उमित समझी जाए।

[पाग []]-धाग्द्र 4]

9

बशते कि, इस विभियमों के तहत आयोग दाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति समय: करने के लिए अवसर नहीं दिया गया हो और उसे सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

प्रो. रजनीत जैन, लविव

[विज्ञापन-11] /4/अत्ता. / 30/19]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2019

F.No. 14-4/2012(CPP-II).—In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT:

- a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019.
- b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein.
- c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE:

To provide opportanitias for redress of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

DEFINITION: IN THESE REGULATIONS, UNLESS THE CONTEXT OTHERWISE REQUIRES:

(a) "Act" means the University Geants Commission Act, 1956 (3 of 1956);


- (b) "aggrieved student" means a student, who has any complaint in the matters relating to or connected with the grievances defined under these regulations.
- (c) "college" means any institution, so defined in clause (b) of sub-section (1) of section 12A of the Act.
- (d) "Collegiate Student Grievance Redressal Committee" (CSGRC) means a committee constituted under these regulations, at the level of an institution, being a college.
- (e) "Commission" means the University Grasts Commission established under section 4 of the UOC Act, 1956.
- (f) "declared admission policy" means such policy, including the process there under, for admission to a course or program of study as may be offered by the institution by publication in the prospectus of the institution.
- (g) "Departmental Student Grievance Redressal Committee" (DSGRC) means a committee constituted under these regulations, at the level of a Department, School or Centre of a University.
- (b) "grievance" means, and includes, complaint(s) made by an aggrieved student in respect of the following, namely:

· · · · ·

10	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART III-Su
Ł	admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission pol- of the institution;
11.	irregularity in the process under the declared admission policy of the institution;
ш.	refusal to admit in accordance with the declared admission policy of the institution;
įν.	non-publication of prospectus by the institution, in accordance with the provisions of th regulations;
۷.	publication by the institution of any information in the prospectus, which is false misleading, and not based on facts;
vi.	withholding of, or refusal to return, any document in the form of certificates of deg diploma or any other award or other document deposited by a student for the purpose seeking admission in such institution, with a view to induce or compel such student to any fee or fees in respect of any course or program of study which such student does intend to pursue;
vii.	policy of the institution;
4105.	of seats in admission to different category of studests;
is,	nonpayment or delay in payment of scholarships or financial aid admissible to any star under the declared admission policy of such institution, or under the conditions, if a prescribed by the Commission;
L	delay by the institution in the conduct of examinations, or declaration of results, bey the schedule specified in the scademic calendar of the institution, or in such caler prescribed by the Commission;
xi.	failure by the institution to provide student amenities as set out in the prospectus, or required to be extended by the institution under any provisions of law for the time bein force;
xii	non-transparent or unfair practices adopted by the institution for the evaluation of stude
xiii.	the second se
xiv,	complaints of alleged discrimination of students from the Scheduled Castes, the Schedu Tribes, Other Backward Classes, Women, Minority or persons with disabilities cotegori
X¥.	denial of quality education as promised at the time of admission or required to provided; and
svi,	harassment or victimization of a student, other than cases of harassment, which are to proceeded against under the penal provisions of any law for the time being in force.
deen	ination" means, as the context may be, a University or a college, or an institution declars ted to be a University under the Act or an institution established within a University f rular discipline or activity;
unde	autional Student Grievance Redressal Committee" (ISGRC) means a committee constitu r these regulations at the level of the University, for dealing with grievances which do ag to a department of the University e.g. hostels and common facilities.
	budsperson" means the Ombudsperson appointed under these regulations;
(l) "Pro prov (incl	spectus" means and includes any publication, whether in print or otherwise, issued iding fair and transparent information, relating to an institution, to the general pu- uding to those seeking admission in such institution) by such institution or any authorit in authorized by such institution to do se;

2 · · · · ·

[NR [1]-05	78 4]	भारत का राजभव : असाधारण	
	facilitating enforce Pradesh, Telengan comprising Keral Gujurat, Goa, Dad Madhya Pradesh Himachal Pradesh Region comprising	a geographical territory, comprising of Si ement of these regulations; namely, So, a, Pudacherry, Andaman and Nicobor, a a, Karnataka, and Lakshadweep; Wes lar and Nagar Haveli, Daman and Dise, C and Rajasthan; Northern Region corr , Panjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttar g Assam, Meghalaya, Mizoraen, Manipu H Eastern Region comprising West Benga	ath-Eastern Region comprising Andhra nd Tamil Nada; South-Western Region tern Region comprising Maharashtra tentral Region comprising Chhattisgarh speising Jammu and Kashmir, Delhi, akhand and Chandigarh; North-Eastern ar, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim
	"State" means a S territory;	state specified in the First Schedule to	the Constitution and includes a Union
(0)	"Student" means which these regula	a person enrolled, or seeking admissio stions apply;	n to be enrolled, in any institution to
(p)	"University" mea context may be, an	ns a University so defined in clause (f) rinstitution deemed to be University dec	of section 2 of the Act or, where the lared as such under Section 3 thereof.
	under these regula	t Grievance Redressal Committee" (US tions, at the level of the university, for SGRC, ISGRC or CSGRC.	
4. MA	NDATORY PUB	LICATION OF PROSPECTUS, ITS C	CONTENTS AND PRICING:
to d pros	he date of the con poctus containing	I publish and/or upload on its website, b nmencement of the admission to any o the following for the information of p e general public, namely:	of its courses or programs of study, a
4	specified by th	prams of study and courses offered along the appropriate statisticity authority or by or program of study, including teaching	the institution, as the case may be, for
(seats approved by the appropriate statur study for the academic year for which ad	
(maximum age	 of educational qualifications and eli limit of persons for admission as a study d by the institution; 	the second se
4	relevant inform	f selection of eligible candidates apply mation in regard to the details of to admission to each course or program of ion test;	st or examination for selecting such
6		nt of the fee, deposits and other charge a for pursaing a course or program of sta at;	
0		ns for imposition and collection of any maximum fine may be imposed.	fises in specified heads or categories.
(institution in c	 of tuition fee and other charges refu ase such student withdraws from such in earn of study and the time within and the adent; 	nstitution before or after completion of
0		eaching faculty, including their education t (Regular/visiting/guest) and teaching es-	
¢	 information with bostel accomm 	ith regard to physical and academic infra solution and its fee, library, hospital or in	astructure and other facilities including adustry wherein the practical training is
			<i>\$</i> 2




स्त्र सा. व्यव्य 4] भारत का संवयत : अल्भ्यारण	13
(ii) The term of the Chairperson, members of the Committee, and the special invite be of two years.	
(iii) The quorum for the meeting of DSGRC, including the Chairperson, but excludi special invites, shall be three.	
 (iv) In considering the grievances before it, the DSGRC shall follow principles of justice. 	
(v) The DSGRC shall submit its report with recommendations, if any, to the Head Institution/ Vice Chancellor, with a copy thereof to the aggrieved stadent, w period of 15 days from the date of receipt of the complaint.	t of the rithin a
C. Institutional Student Grievance Redressal Committee (ISGRC)	
(i) Where a complaint does not relate to any academic Department, School or Cent University, as the case may be, the matter shall be referred to the Instite Student Grievance Redressal Committee (ISGRC) to be constituted by the Chancellor, with the following composition, namely:	Vice
 Pro-Vice Chancellon/Deau/Senior Professor of institution – Chairperso 	m;
(b) Dean of students/Dean, Students Weifare - Member;	
(c) One senior scademic, other than the Chairperson – Member;	
(d) ProctonSenior academic – Member;	
(c) A representative from among students of the college to be nominated Vice Chancellor based on academic merit/excellence in spons/perform co-curricular activities – Special Invitor.	I by the sance in
(ii) The term of the members of the committee shall be of two years.	
(iii) The quorum for the meetings of the ISGRC, including the Chairperson, but es the special invitee, shall be three.	
 (iv) In considering the grievances before it, the ESGRC shall follow principles of justice. 	nstutal
(v) The ISGRC shall send its report with recommendations, if any, to the Chancellor, along with a copy thereof to the aggricved student, within a perio workings days from the date of receipt of the grievance.	Vice of 15
D. University Student Grievance Redressal Committee (USGRC)	
(i) The Vice Chancellor of an affiliating University shall constitute such nu University Student Grievance Redressal Committees (USGRC), as may be to consider grievances unresolved by one or more CSGRC or DSGRC or ISG each USGRC may take up grievances arising from colleges/departments/ Inst on the basis of the jurisdiction assigned to it by the Vice Chancellor.	IRC and
 a) A senior Professor of the University - Chairperson; 	
 b) Dean, Student Welfare or equivalent – Member; 	n these
 Two Principals drawn from the affiliating colleges, other that connected with reports of CSGRC under review, to be nominated Vice-Chancellor – Members; 	t by th
d) One Professor of the University - Member;	
 A representative from among students of the college to be nominate Vice Chancellor based on academic merit/excellence in spons/perform co-curricular activities - Special Invitee. 	d by th mance is
(ii) The Chairperson, members and the special invitee shall have a term of two ye	ars.
(iii) The quorum for the meeting, including the Chairperson, but excluding the invitee, shall be three.	e spocia

14		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PARTIE-5B			
	0	In considering the grievances before it, the USGRC shall follow principles of nat justice.			
	6	The USGRC shall send its report and recommendations, if any, to the Principal of College relating to the grievance/Head of the department/School/Institution wi copy thereof to the aggrieved student, within 15 days of the receipt of the grievance			
	ty	i) Any student aggrieved by the decision of the University Student Grievance Redre Committee may prefer an appeal to the Ombudsperson, within in a period of fift days from the date of receipt of such decision.			
6.		IMENT, TENURE, REMOVAL AND CONDITIONS OF SERVICES SPERSON:			
3	(l) There decide	shall be one or more part-time functionaries designated as Ombadspersons to hear, on, appeals preferred against the decisions of the USGRCs.			
	State	led that, there shall not be more than one ombudsperson for a State, in respect of all universities (Public as well as Private) in that State, who shall be appointed by the S ament;			
	the C	led further that, there shall not be more than one Ombudsperson for a region, in respec- entral universities and institutions deemed to be universities in that region, who shall need by the Central Government.			
1	(ii) The Onbudsperson shall be a person of emiaesce in academics or research, who had been Vice- Charcellor of a University.				
((iii) The Ombudsperson for the State universities in a State, shall not be in any conflict of interest with any University in that State; and the Ombudsperson for the Central universities and institutions deemed to be universities in a region, shall not be in any conflict of interest with any University or institution deemed to be University in that region, either before or after such appointment.				
(iv) A Sta	e Government shall appoint the Ombudsperson from a panel of three names recommen earch committee constituted for that purpose and consisting of the following, namely:			
	(a) A nominee of the Governor or L1. Governor, as the case may be, who is a person of eminence in the field of higher education Chairperson;				
	(b) A V	ice Chancellor from a State Public University to be nominated by the Governon/LG of eUT - Member:			
	(c) A V	ice Chancellor from a State Private University to be nominated by the State Government			
	(d) Cha	nber; irperson of the State Council of Higher Education or his/her nominee from among			
	(c) Prin	lomic members of the Council- Member; cipal Secretary/Secretary to the State Government responsible for Higher Educati			
	(v) The C	nber Socretary. Ientral Government shall appoint the Orshudsperson for a region from a panel of th			
	the fol	recommended by a search committee to be constituted for that purpose, and consisting lowing, namely:			
		Chairperson, University Grants Commission or his/her nominee - Chairperson			
	(6)	A Vice Chancellor of a Central University to be nominated by the Central Governmer Member			
	(c)	A Vice Chancellor of an institution deemed to be University to be nominated by Central Government - Member			
	(d)	A nominee of the Central Government, not below the rank of the Joint Socretary Member			
	(e)	Secretary, University Grants Commission - Member Secretary			
		22			

1	49 111-	ant 4]	भारत का राजपत्र : असाधारण			
	(vi)	years, whichever is e	all be appointed for a period of the sarlier. from the date of assa- ter one term for the same State or	two years or until he attains the age of ming office, and shall be eligible region, as the case may be.		
	(vii)	For conducting the heat with the norms fixed by	rings, the Ombudsperson shall be	paid a sitting fee, per diem, in accordan- sion, and shall, in addition, he elisible		
	(1000)	The State Government, the case of an Ombudg	in the case of an Ombadsperson	of a State, and the Central Government, he Ombudgerson from office, on charg		
	(ix)	No order of removal of a person not below the heard is given to the Ou	rank of judge of the High Court is	upe after an inquiry made in this regard n which a reasonable opportunity of bei		
7,	FUNCTIONS OF OMBUDSPERSON:					
	(i)	all other remedies provi	ded under these regulations.	stadent, only after the student has availe		
	60	referred to the Ombudy sheets from an examina	sperson, no appeal or application	on or in the process of evaluation may le for revaluation or re-totaling of answ Ombudsperson unless specific irregulari iscrimination is indicated.		
	(111)	The Ombadsperson may alleged discrimination.	y avail assistance of any person, a	s emicus curiac, for hearing complaints		
	(iv)		ill make all efforts to resolve the re the aggrieved student(s).	grievances within a period of 30 days		
8.		CEDURE FOR REDR EVANCE REDRESSA	이 가슴에 잘 가슴에 있는 것 같은 것이 가슴을 가 가 있는 것을 가 많다.	OMBUDSPERSONS AND STUDEN		
	0	Each institution shall, w have an online portal w grievance.	within a period of these months f here any aggrieved student may s	rom the date of issue of this notificatio aubmit an application seeking redressal		
	(ii)		ressal Committee, along with it	I refer the complaint to the appropria a comments within 15 days of receipt		
	(iii)		Redressal Committee, as the case e communicated to the institution	e may be, shall fix a date for hearing th and the aggrieved student.		
	(iv)	An aggrieved student m	ay appear either in person or author	orize a representative to present the case.		
	69		d by the University Student G terson, within the time period pro-	rievance Redressal Committee shall b vided in these regulations.		
	(vi)	Committee(s), as the ca	use may be, in early redressal of sperson to the Commission, which	non or the Student Grievance Redress grievances; and failure to do so may b h shall take action in accordance with th		
	(vii)	the conclusion of proce	edings, pass such order, with sea	unities of being heard to both parties, o stors there for, as may be deemed fit i propriate to the aggrieved student.		
	(viii)	the signature of the Onl		provided with copies of the order under all place it for general information on i		
		website.		4.		

Dr. H.N. Sinha Arts and Commerce College, Patur

40




Dr. H.N. Sinha Arts and Commerce College, Patur

1500	11.1 Declares were weet
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
	University Grants Commission
\checkmark	(सामय समाधन विकास पंथान्य, सारन तरवार) (Ministry of Raman Resource Development, Sout, of Ieda
ara faana faqaal	बहादरसाह जठा थार्ग, नई हिल्ही-112002
র্মা. জেলীয় জীল	Bohodur Shah Zofor Horg, New Delti-110002
संचित्र Sector Sector Sector	Ph = 011-23236288/23229337
Prof. Rajnish Jain Secretary	Fear - 011-2323 8856 5-moli - secy ago(Bric.in
D.O. F. No. 14-4/2012(CPP-II)	7th May, 2019
Dear Sir/Madam,	
In exercise of the powers	conferred under clause (g) of sub-section (1) of
Section 26 of the University Gra	ints Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in
supersession of the University	Grants Commission (Grievance Redressal)
Regulations, 2012, the UGC has	s notified the University Grants Commission ints) Regulations, 2019 in the Official Gazette on
6 ⁿ May 2019. A copy of the Regul	ations is attached herewith. As per para 8(i) of the
Regulations, you are requested to re-	ensure that your University shall, within a period of
three months from the date of issue	of these Regulations, have an online portal where
any aggrieved student may submit	an application seeking Redressal of the grievance.
You are requested to ensure	compliance of these Regulations in your esteemed
University. These Regulations ma	y also be brought to the notice of your affiliated
colleges for their implementation.	
With kind regards,	
10000000000000000000000000000000000000	Yours sincepely,
	Drith
	(Rainish Jain)
Encl. : As stated above.	(capital sally
The Vice-Chancellors of all Unive	rrsities
	rsities
The Vice-Chancellors of all Unive	ersities
Copy to : -	for unleading on LIGC website
Copy to : - The Publication Officer, UG0	
Copy to : - The Publication Officer, UG0	for uploading on UGC website.
Copy to : - The Publication Officer, UG0	for unleading on LIGC website
Copy to : - The Publication Officer, UG0	for uploading on UGC website.
Copy to : - The Publication Officer, UG0	for uploading on UGC website.
Copy to : - The Publication Officer, UG0	[Dr. (Mis.) Pankaj Mittal] Additional Secretary
Copy to : - The Publication Officer, UGC	for uploading on UGC website.

Dr. H.N. Sinha Arts and Commerce College, Patur

.

45



बहाराष्ट्र जासन राजपत्र असाधारण धाग चार-ड, वेजुडारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, प्रके १९४०

(छ) विद्याचेठ किंगा महाविद्यालय किंवा मान्यताप्रान परिसंस्था यांव्याकडून प्रवेष प्रक्रिपेत अनिर्यामता होणे :

(ग) माहितोपूस्तिकेत प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे प्रवेशाच्या घोषित धोरणानुसार प्रवेश देश्याचे जकारणे :

2

(ध) या परित्रियमाच्या ग्रांड ३ मध्ये थिनिर्दिष्ट केल्पधमाणे, एकतर क्रमोल प्रतीच्या स्वरूपात किया जॉनलाईन स्वरूपात पर्वतरीपरितय प्रसिद्ध न करणे :

(छ) जो महिलो छोटो च दिशाफूर करणारी अहे आणि वस्तुध्वितीयर आधारित नहीं जन्नी कोणजोदी चहिती पहिलीपुस्तिकेनचे प्रयिद्ध करणे :

(व) एखाचे व्यक्ती, जिमे जिसल पुढे सुरू ठेवण्याव इच्छुक नसेल अज्ञा व्यक्तीला कोणत्याही चटावरमाव्या किया अध्ययनवन्माव्या बाबतीतील कोणतेही सुरक घरण्याकरिता प्रींत करण्याच्या किया हिल्याधर सकती करण्याच्या हेतूने, अज्ञ एखादा विद्यापीठात किंवा ग्वराविद्यालयात किंवा मान्यतव्यान परिसंचोत त्या व्यक्तोंने प्रवेश पेताना ते विद्यातीठ किंवा महाविद्यालय किया मान्यतासन्दा परिसंस्था पांच्याकडे हिने जया केलेल्या परवो, पर्यवका व्यायाध्वच्या किया कोणत्याही अन्य परिलीमकरेच्या किंवा इतर काण्डव्याच्या स्वरूप्यातील कोणताही दरवाईछत्र रोखून ठेवणे किंवा तो प्रता करण्यास नकार देवे :

(७) अज्ञा विद्यापीठाजडून किंवा महाविद्यालयकडून किंवा मान्यतावाप्त चेरसंश्र्मेकडून अवकरण्यात पेणाऱ्या, प्रवेशाव्या घोषल धोरण्यान्प्ये विनिष्टिष्ट केलेल्या किंवा सक्षम प्राधिकरणाने वाज्यता दिलेल्या स्वजीपेक्षा अधिक रकमेठी मानयी करने :

(अ) प्रवेशतील आरक्षणबाबत लागू आस्तेल्या धोरणाऱ्या भंग करणे :

(३) प्रवेशाच्या चेळी गुम्पप्रिका, शाळा सोडान्यच्य दाखला, पंथारच्यी मूळ शंखांगक व नेयन्तिक प्रमाणपंथे आणि प्रश्नस्तिपरे, तसेथ अशी प्रतर काण्ट्रपत्रे, तो मूळ स्वरूप्तात साहर करणे अनियायं नारतानही साहर करण्याचा विद्यार्थ्यांना आध्र करणे :

(ज) लिए, वंश, जाल, बगे, पंथ, जन्मस्थान, धर्म व दिव्यांगता था कारणविरून विद्यार्थ्वाच्या कथित भेदभाकाच्या तकारो :

(2) संबोधत अधिकरणाकडून शिष्यवृत्तीचे रक्तम प्राप्त झाल्यानंतर तो, विद्यापीठाकडून किया महाविद्यालयाकडून किया मान्यताप्राप परिसंख्येकडून एखाग्रा विद्यार्थ्याय प्रदान केली न आगे, किंवा प्रदान करण्यात विश्वेष करने :

(४) प्रवेश रह झाल्यास शुल्वाच्या परताच्याबाब्दाच्या निषमांचे पालन न करणे :

(४) हेव्हॉपक बेन्दापत्रकलच्छे विनिर्देष्ट केलेल्या जालावधीचो भर्षदा घार करून परीक्षा चेण्यात किंवा त्यांचे निकाल नहींस करण्यात अधानची जिलंब करणे :

(र) विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राण परिसंखा पांच्याकडून महितांपुर्वसचेत आच्चसन देण्यात आले असेल किंवा पर्राजगे आवश्यक असेल त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सुविधा न पुर्वायमे :

(अ) गुल्यगापन पद्धती पारदर्शक नरामे किया अनुचित असमे :

(चार) "विभाग तक्सर निवारण कक्ष" याचा अर्थ, खंड ५ च्या उक्खंड (१) मध्ये विहित केल्पाडमाने, विद्यापीठ विष्णा विधा विद्यापीठ परिसंख्यास्तरावरील, वा परिनियमाध्यये पहित केलेलो सम्मिते, असा आहे :

(पाच) "संस्थात्मक तक्षर निवरण कस" पाचा अर्थ, खंड ५ व्या उपखंड (१) मध्ये विंहत केल्यावनामे विद्यापेंडरतरावरील या परिनियमान्वचे प्रटित बेल्लेली समिती, असा आहे :

(सत्ना) "महाविद्यालय तकार निवारण नव्द" याचा अर्थ, खंड ५ ज्या उक्संड (३) मध्ये विहित केल्पाव्रमाणे महाविद्यालय किवा क्यांस्थिति मान्यताव्राण परिसंग्यास्तरावर या परिनियमान्वत्रे घटित केलेलो सामिती, अस्त आहे.

(साल) "जिद्यापीठ तकार निवारण मक्ष" वाचा अर्थ, म्रॉड ५ ज्या उच्छोड (४) मध्ये जिंहत केल्याप्रमामे विद्यापीठमतराथर या परिनिधनन्वये प्रदित केलेली संमित्ते, अमा अन्हे.

(अछ) "लामाचे घर" वाचा अर्थ, लाम किंवा आर्थिक लाम मिळविण्याची धमता अग्रत्नेले आणि ज्यारू कही एगार, वेतन, विरालभी, चरिश्रमिक किंवा पूरक भत्ता वाज्यविरिक्त इतर भना संलग्न अर्ड असे पर, अता अहे :

महाराष्ट्र ज्ञासन राजन्त्र असाधारण भाग धार-व, चेबुकरो २७, २०१९/काल्गुन ८, झके १९४०

-5

(नऊ) "लोकपाल" बाधा अर्थ, या परिनियमाच्यवे निगुक्त केलेला लोकपाल, आग आहे:

г

(२) या चीरीनवमाल वाचरण्यात आलेले, परंगु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग योना, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ जीपनियम, २०१६ (२०१७ व्य बडा, ६) यात अनुस्रमें जे अर्थ नेमून देण्यात आलेले असतील, तेथ अर्थ असतील.

माहितीपुसिका, अनुक्रमणिकेसह व किंग्सीसह प्रसिद्ध करणे अनिवार्य असले :---

(१) इत्येक विद्यपोठ किंवा महाविधालय किंवा मान्यतप्रापा परिसंत्या, तिच्या कोमत्यकी पठककमांसवठीजे किया अध्ययकमांसवठीजे इवेक् प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिनांकरपूर्वी कियान साठ दिवस संचल्या अगोरर, अश्व विद्यपीठात किंव्य महाविद्यालयत किया मान्यतप्राप परिसंत्रयेत प्रवेत होच्छण्यान्या व्यक्तीच्या व रूवंस्वायात्रण अन्तेच्या महितीसाठी पुढोल महिती आंतर्पुत असणारी महितीपुस्तिका प्रसिद्ध करोत आणि/जिया तिच्या संवेत्रस्यखायर टार्थतेत :---

(एक) अध्यापनाचे तास प्रात्यविक सत्रे व इतर नेमून दिलेलो कामे गांच्या सहील इल्पेक पाउरकरूम किंवा अध्ययनकम यासाठो सन्तुंपत प्रार्थकरण्टने किंवा वश्वस्थित, विद्यार्थाठाने विनिरिष्ट केलेल्या अध्ययनकमाण्ट्य डोवलमानने व्यस्तवित केलेल्या अध्ययनकमांची व पाठवरूमांची सूची : तसेच अध्ययन तासिका, प्रात्यक्षिक सत्रे आणि इतर प्रयत्थ्य पांवायतचं महिलो :

(दोन) असा विद्यापीठान, किंवा महाविद्यालयल किंवा पाल्पताखपर परिसंस्वेत पाठपत्रजनांचे किंवा सध्यपनव्रमाचे जित्तन धेण्यावरिता प्रवेस दिलेल्या विद्यार्थ्यकंटून देव असलेले शुल्क, ठेव्यो व इतर आकार असे प्रत्येक पटक आणि असा प्रदानपद्या सरी व सती :

(तीन) ज्या हेक्सिक वर्षाच्य पाउच्क्रमासाठी किया अख्यसकमासाठी प्रवेश देण्याचे प्रस्तांका केले आहे त्याबार्शति, समृष्मि संविधिक प्राप्तकरणाने मान्यता रिलेल्या जागांची संख्या :

(चार) विद्यान्तिऽमें किंवा महाविद्यालयाने विद्या माम्प्रलाधाल परिसंखेने विनिर्देष्ट फेल्लेला, विकिट पाउवज्ञ मसाठो किंवा अभ्यमकममग्रठो विद्यापी म्हणून इवेल प्रेमान्था व्यक्तीची किमान व कथाल क्योमपोदा परिहोत, शेक्षणिक अईतेच्या य पाललेका सती .

(श्वय) प्रत्येक पाठव्यकगासाठो किया अध्ययनक्रमागठोच्या प्रवेशकारता असा उमेरवारांचो निवड करण्यासाठोच्या धावणी किया परीक्षा, यांच्या लर्थकलाच्या बाबलोलील राजे संबंधित माहितीसह असा प्रवेशासाठों अने करणाऱ्या पात्र उमेरवारांची निवड प्रक्रिया आणि प्रवेश चावणीकॉरना जिहित केलेल्या भूल्काचो रच्यन्म :

(सहा) कोणरवही इज्यदंड, विविधिष्ट केलेली शोर्षे किया प्रकर्ण, लादना येतील असे कियान व कमाल इव्यदंड लादण्यासाठीचे य ते वसूल करण्यात्साठीचे नियम,चिनिषम :

(सात) अशा विद्याचेठात किंवा महाविद्यालवात किंवा मान्यताप्राण चरिसंस्थेत प्रवेश दिलेला विद्याची चठवळम किंवा अध्ययनकम पूर्व करण्यापूर्वी किंवा पूर्व केल्यावर, अशा विद्यापीठालुर किंवा महाविद्यालयातुन किंवा जान्यताप्राल परिसंग्लेतुन चहर चडाल असेल त्यावास्तीत, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राल परिसंस्था, वांव्याकदून परताव्यक्षेण्य असलेल्या शिक्षम शुल्काचे व इतर आकाराचे प्रमाण, आंधा ज्यावेळेत व ज्वारीतीने त्या विद्यार्थ्यांना असा परतावा देख्यात वेईल तो वेळ व ती रोत :

(आठ) प्रयेशच्या खेळी सादर कराधथाची कागएपत्रे :

(नऊ) प्रत्येक विद्यासाम्रोच्या अण्यापण्डची शेक्षणिक अहंगा व अध्यापन अनुभव समहित्यः असलेला तमेच अवे अध्यापक लियमित तत्त्वानर किंवा अध्यागत म्हणून कार्यरत आहे हे दर्शविष्णारा, अध्यापण्डवर्णाचा तपशील :

(दहा) चर्मातगृह निधासच्यवस्था, प्रेयालय व रूज्यालय पांसहीत भौतिक व होर्खाणक पांपाष्ठ्र सुविधा च इतर सुविधा किंवा विद्यार्थ्यांना ज्या उद्योगामच्छे प्रत्यक्ष प्रसिक्षण खावश्वचे आहे तो उद्योग आणि विज्ञेषतः त्या विद्यार्थाठात किंवा महाविद्यालयात किंवा माण्डाद्यपर पीरसंस्थेत प्रवेश रेण्याल आल्पावर विद्याल्डीन उपलब्धा अग्रलेल्डा सुविधा यांबाबताची महिती :

(अवटरा) विद्यालेडाच्या किंवा महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यराप्रान्त परिसंस्थेच्या परिसारत किंवा त्या बाहेर विद्यार्थ्यांने शिस्त सम्बण्धश्च संबद्धित सर्व अनुदेश :

(बारा) अनुदानिल य विनाअनुदानित पाठवकनांचे स्पष्ट सैम्पोकन :

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, केंड्वारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, प्रके १९४०

(तेरा) विवासीठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्यलडाप्स परिसंख्या बांग चोच चोए आरों। कोमलोही महिले,

(२) विद्याचीत किंवा महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राण परिसंग्या वरील खंड (१) करी तिरिष्ट केलेली महिले आपल्या अधिकृत संफेलस्प्रकावर टाकून आणि वृत्तपत्रांमध्ये व हार माण्यमामध्ये व्यायक प्रसिद्धो देवन संभाव्य विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य जनतेला कउटवेल.

(३) प्रत्येक विद्याचेठ फिल महाविद्यालय फिला मान्यताप्राल परिसंख्य, प्रवेश अर्थाच्या नयुन्यारह अशा महितीपुरितफेला प्रत्येक मुद्दित प्रतीची, प्रकाशवच्या व विद्यरणाज्या चानव्ये दार्थायेका अधिक नरोल एवडी, कियत निविधन करोल आणि तिथ्या प्रकाशवपासून, विद्याणपासून किया विक्रीपासून कोणताही नगर मिळवणार नाही.

४. तकार स्वीकारण्याबाबल अपवाद.— राज्य शासनाच्या अंतर्गत अपलेश्वा वरेणत्याही सॉविधिक पंत्रणेट्रारे नियमन होणाऱ्या, ज्या विषयवस्तुष्टी निव्वासाठी राज्याच्या संबीधन अधिनियमाअन्धर्व तकार निवारण चंद्रणेची विद्योर्थतत्या तस्तुद करण्यल आली आहे त्या विषय वस्तूष्टी संबीधन तकारी, तकार निवारण नव्य किंवा लोकपाल योच्याकदुन स्वीकाराज्या जापार नहीत.

तकार निवारण कहा :

(१) विभाग तकार निवारण कक्ष (वि.त.नि. कक्ष) :---

(एक) विद्यापीठाच्या बाबलील, विद्यापीठ विश्वण किंवा विद्यापीठ परिसंख्य यांच्याशो संबधित रूवं तकारी, सर्वप्रथम, विद्यापीठ विश्वण किंवा विद्यपीठ परिसंख्या स्तरावर घटिल करण्यात आलेल्या विश्वाग तकार निवारण कसाला उदेशून करण्यात येतील. या समितीचो रचना पुरीलप्रमाणे असेल :—

(ख) कुलगुरूने नामनिर्देशित करावयाचा, विद्यापीठ विभागाच्या किंडा विद्यापीठ चरिसंस्वेच्या बाहेरील प्राथ्यपक----सदस्य :

(दोन) कक्षाचा अध्यक्ष व सदस्य यांचा पदावधी दोन वर्ष इतका असेल.

(तौन) बेठकोसाठोचो गणपूली, अध्यक्षायह दोन इतको असेल.

(चार) विभाग तलगर निवारण कल, विद्याल्यांच्या तलररीवर निर्भय रेतान, नैसॉगिक न्यायाच्या तत्वांचे पालन करील.

(पाथ) विष्मण तकार निवारण कक्ष, तकार मिळाल्यानसून पंथत दिवसांच्या कालावधोच्या आत, तकारीचे निवारण करोल. वि.त.नि.कक्ष अहा तक्रमीचे प्रमाण कमी करण्याच्या व त्यांना अळा धालणाऱ्या उद्देशाने विद्यार्थीठाला निवलकालीताने विदिध उत्तवर्यांजना सूचजील.

(सवा) वि.त.नि.कस, व्यपित व्यक्तीला (व्यक्तींना) आदेशायो प्रत पुस्वील.

(२) संस्थालमक लकार निवारण कहा (सं.ल.नि. कहा) :----

(एक) विद्यापीठ जिमाग किंवा विद्यागीठ परिसंस्था शोज्यली संबंधित नमतील अशा तक्षरने आणि विभाग तकार निवारण क्रमामध्ये निवारण न झालेली गान्हाणो हो, विद्यापिटाच्या कुलगुरूने घंटत कराव्याच्या संस्थात्मक तक्षर निवारण कक्षकडे निर्धितन करण्यात वेतील, या कसायी रचना प्रदोलग्रमाणे असेल :--

(क) प्र-वश्यम्हः/अधिष्ठाता/वरिष्ठं प्राध्यापकः —— अध्यक्षः ;

महाराष्ट्र जासन राज्यत्र असाधारण भाग चार-ब. फेब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, जर्फ १९४०

(होन) सॉमतोव्ह अध्यक्ष आणि भएरव योग्रा परावधी रोन वर्ष हतका असेल.

(तीन) बेठकोचो गणपूनी, अध्यसामद तोरजण इतको असेल.

(चार) विद्यार्थेत लकार निवारण कथा, विद्याव्योच्च तकारीकर निर्माप देखना नेशलिक न्यापाल्म तत्वांचे घालन करोल.

(पाथ) विद्याचेठ तकार निवारण कक्ष, तक्षर मिळाल्यधापून पंधन दिवासांच्या आत, तकानीचे निवारण करोल. विद्यापीठ तकार निवारण कक्ष, अक्षा तकारीचे प्रमाण कमो करण्याच्या च त्यांना आत्या प्रताण्याच्या उद्देशने, व्यवस्थापनाला आणि प्रचश्चिति विद्यापीठाला निवत कालोत्याने विद्यिप उधारणोजना सुधर्थाल.

(सहा) विद्यापीठ तझार निवारण कस, व्यक्ति व्यक्तेला (व्यक्तींना) आरेशाची एक प्रत पुरयोत.

(५) संस्थात्यक तकर निवारण ककाच्या किंव विद्याचित तकार निवारण ककाच्या निर्णवाने व्यथित झालेल्या कोमात्यहो व्यक्तींस, सहा दिवसांच्या कालवधीच्या आत लोकपालकडे अपील दाखल करता पेईल.

(६) कसाच्या कोणत्याही सदस्याच्या जिरूद्ध तकार करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, तो संबंधित सदस्य, अशा वाबीयरील कार्यवाहीपासून स्थताला दूर ठेयील.

 लोकपाल —(१) विद्यालेठ, व्ययात्मक तक्कार किवारण कक्षाच्या किंवा विद्यापोठ तकार निवारण कक्षाच्या विर्णशांतरुद्धव्य औपलोव्स युनावणे करण्याकीला व निर्णय देण्याकीरता एका लोकपालाची निवुक्ती करोल.

(२) लोकमाल, विद्यापीठाशी संबंधित नसेल अली आणि सेर्वानपुत्र जिल्हा न्यायाधील, किंवा सेर्यानयून कुलगुरू किंवा सेर्वानपुत्त कुलसीयल किंवा सेथानिपुत्त प्राण्यापक किंवा सेवानिवृत्त प्रायार्थ योच्या दर्यापेक्ष कमी दर्वा नसलेली जस्मती जसेल.

(३) लोकपाल हा, लोकपाल म्हणून नियुक्त होण्याच्या थेळी, अशा नियुक्तीपूर्वीच्या एक लबोयाचे किंवा लोकपाल म्हणून त्याच्य प्रश्तकोदरम्यान, जेवे त्याचे व्यक्तिपत नतो-संबंध, व्यक्तपारिक संसन्तत किंवा अभिक हित्सांबंध योमूळे त्याचा विद्यापीताबतत्त्वा निर्णयकर्ताञ्च स्थातंत्वज्ञो तडनोड करावी लागेल अबव्ध तो तडजोड करोत असल्याचे वाक्तवेरोत्या दिसून येवेल अल्ला बाबतीत, त्याचा निद्यापीताच्या हितास विद्योध असता करमा नवे.

(४) लोकपाल, किंवा ल्याच्या जवळच्या कुटुंबातील कोमताही सरस्य,–

(एक) विद्यापीठलील लाभाष्या पदाच्या अशा कोफत्यही पदावर किंवा नोकरोमध्ये मानील एका वर्षांमध्ये कोणत्यही परिष्यतीत पद धारण करणार नहीं किंवा त्याने पद धारण केलेले असणार शही :


(दौर) विद्याचेठाको वैर्थाकाक, कोट्रीवक,व्यावसापिक अच्छा जाखिक संबंधायत कोणलाही परन्यपूर्ण शतेसंबंध देथणार तरहे ;

(तोन) विद्यापीठाच्या प्रशासन किंवा शामव्यांरचनेत, कौणत्याही नावाने संबोधण्यात देणारे, विद्यापोठातेल कोणतेही पर भारण करणार नहीं.

(५) सार्वजीनक विद्यापीठमधील लोकपालाची नियुक्ती, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषरेच्या मान्यलेने, विद्यापीठाच्या कुलगुरुकडून, सौथ समितौने शिपरस्य केलील्य, पुढील सदस्यांनी मिळून बनलेल्या तीन व्यक्तीच्य नामिकेलपून अंशकालिक तत्त्वावर करण्यल येहेत ---

(दोन) राज्य सालगने नागनिर्देशत करावयाचा सार्वजनिक विद्यापीठावा कुलगुरू सदस्य :

(६) लोकपाल हा, तो पदावर रूप् झाल्याच्या दिनोकापासून सेन ज्यांच्या कालावयोकरिता—नियुका करण्यात आलेला अंत्रवाहित्क अधिकारी असेल आणि त्या विद्यापीठामध्ये आण्मतो एका मृदलोकांरता त्यांची पुननियुक्ती करता येईल. लोकपालाये पर तोन महन्यांयेक्ष अधिक



(स) आंधराणेव्या सदस्यांभधून तीन प्राचार्य, लायेक्टे एक महिला असेल आणि एक अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमती/निरचिसुचित जमती/भटक्या जमती/इंतर माणाम वर्ण चा प्रवर्णतील असेल :

(ii) नॉरणीकृत पदवीश्वर मलदारसंघागुन, अधिसाधेवा एक सदस्य : सदस्य

महाराष्ट्र ज्ञासन राजपत्र अलावारण भाग वार-व, केंब्रुवारी २७, २०१९/फाल्गुन ८, जले १९४०

- 0

कातावध्येकरिता रिश्वत राहणार जहाँ, याची विद्यापीठाकडून मुनिकित्तों फरण्यात पेडेल आणि अज्ञा, पद रिक्त राहण्याच्या कालावधीत, कुल्लुरू, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ (२०१७ या महाराष्ट्र अधिनियम क.६) इमे नियमन करण्यात वेण-जा कोमत्यारी जिद्यापीठातील विद्यमान स्वेकवालास तातपुरता प्रभार नेमून देहेल.

(७) लेकपालास, प्रथनमांथी सुनावणो घेण्याकरिता, याइतृक खर्वाच्या प्रतिपूती व्यतिरिका, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मान्वता दिल्लाप्रमाने प्रति दिन बेठक की देण्पात वेईल.

(८) लोकपालावरील गेरवर्तनाचे किंवा दुर्व्यवहाराचे किंवा उपसेका उपसंड (३) व (४) मध्ये नमूद करण्यात अल्लेच्या कोणत्याही शामिचे इल्लंघन केल्यावाबाचे आरोप सिद्ध झाल्यास, विद्यावीठाव्या व्ययस्थापन परिषदेच्या भाग्यतेने, कुलगुरू त्यास परावरुन दूर करोत.

(७) लोकपालाचे अधिकार व कर्तव्ये पुडीलप्रमाणे असतीलः—

(१) लोकपालास, साम्रात्मक तकार निवारण कक्षाच्या किंवा विद्यापीट तकार निवारण कक्षाच्या निर्णयांच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या ऑफ्लांची सुनावणी करण्याचा व त्यावर निर्णय ऐण्याचा अधिकार असेल.

(२) लोकपाल, उत्तरपश्चिकांचे पुनर्कृत्यांकन किया पुनर्गुषांकन याबाकाचे कोणतेही अर्थेत विचाराषं स्वोवतरण्डर नाही. तयाँग, परीक्षेतील गैरव्यवहाराचे पुदे व मूल्यांकन प्रक्रिया वास्तरपांतील अपिने लोकपालाकडे निर्देशित करता येतील.

(३) लोकपालास कॉयत भेदभावाच्या तक्रमोची सुनावगी बनण्यासठी कोणत्यहो व्यक्तोचे, न्यार्थायत्र प्रस्पूर सहाय्य मणता पेईल.

(४) लोकपाल, विद्याध्योकदून अन्त्रेल प्राप्त झाल्याप्रमून ३० दिवसांच्या कालावधीच्या सात, तकारीचे निवारण करण्याचा सर्वलीपरी प्रयत्न कलेल,

4. लोकपाल आणि तकार निवारण कक्ष यांनी लकारीचे निवारण करण्याची कार्यपडती.—(१) प्रापेक विद्यापोठ किंवा महाविद्यालव किंवा मान्यताप्राप्त परिसंस्थ योव्याकडे वा, अधिमुचनेच्या प्रसिद्धोच्या दिनांकाणमून तीन महिन्यांच्या व्यालाधधीच्या आत. त्यांचे एक संगणकोथ (अनिलाईन) पोटेल असेल, जेचे त्या विद्यापीठाचा किंवा महाविद्यालपाचा किंवा मान्यतप्राप्त परिसंग्लेचा कोणावहो व्यक्ति विद्याची, तकारीचे विद्यारण करावे यासाठी अर्ज सादर करू शवेल.

(२) कॉफलोहो तकार प्राप्त झाल्याजर, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त परिसंख्या, तो तकार संगणकीय पेटेलकर प्राप्त झाल्यापासून १५ इंग्रसांच्या आत, त्यांच्या कॉम्प्रावास्ड, ती तकार रामुांच्या तकार निवारण कक्षकडे किंवा क्यांत्रियांत, लोकपालाकडे विचाराचे निर्देशित करील.

(३) त्रस्तर नियारण कक्ष किया, क्वारिवांत, लोकपाल, तस्तरोक्वील सुनावगीचा देनोक निश्चित करून तो त्या विद्यापीठाला किया महाविद्यालयता किया मान्यतव्याल पॉरसंस्वेला आणि व्यथित व्यक्तील कळपोल.

(४) व्यक्ति व्यक्ते इकतर स्वतः इजर राजेल किंवा लिखा वाटल्यासाठी इजर राइण्याकतिता प्राधिकृत करण्यात आले आहे आण, अन्य व्यक्तीला लिघे प्रतिनिधित्व करता वेहेल जी विभो व्यायसायिक नसेल.

(५) सम्मुधित तकार नियारण कक्षामध्ये किंवा कालमध्ये निवारण न झालेल्या लंकप्रती लेकपालाकडे विध्वरार्थ निरीष्टत कराण्यात पैतील.

(६) विद्यापीठ किया महाविद्यालय किया मान्यताप्राप्त परिसंखा, तबज निवारणाच्या कामल लोकपालस, किया प्रथल्पित तकार निवारण वक्षाला (कक्षांस) सहकार्य करोल आणि तमें करण्यात त्थांनी वसूर केल्यास, लोकपालास किंवा स्वाल्पिति तकस निवारण कक्षाण (वक्षांन) विद्यापीठाच्या कुलगुरकडे ती बाब कळाँचता वेहेल.

(७) कार्वजाडी सम्माप्त झाल्यजर, समुच्चित तकार निजारण करू किया, यवास्थिति, लोकपाल, तळाष्ट्रीचे नियमण करण्यासाठी योग्य याटेल अख आदेश, त्याच्या कल्ल्यांसह संमत कतील जाणि वाल्योप्रीत्या पोन्हो पालकारांचे प्रत्यापे ऐकुन पोल्ल्यानंतर ज्यथित पालकारात्त इष्ट असेल जस्त जन्त्रीय देवेल

(८) लोकपालने फिया, वयस्थिति, समुचित तआर निजाण कसाच्या अध्यक्षने स्वाक्षरों केलेला प्रत्येक आरंज, व्यर्थन व्यक्तिंग तमेच विद्यार्थठाला किया महाविद्यालयाला किया वयस्थिति, मान्यराद्राप्त परिसंत्रवेला देण्यात पेईल, आणि तो, विद्यापीठाच्या किया महाविद्यालयाच्या किया जन्यताव्यप्त परिसालेच्या संवेतस्थाळावर तारूण्यात थेहेल

महाराष्ट्र ज्ञासन राजपत्र असावारण थाग चार-व, केब्रुवारी २७, २०११/फाल्युव ८, ज्ञांके १९४०

e.

(९) विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय किंवा, क्यामित्रीत, मान्त्रतायाल वरिसंस्था लोकपालाच्या किरतरशीचे अनुवालन करोल. लोकपालाच्या कोण्डवाही शिखारशीचे विद्यापीठाने किंवा महाविद्यालयाने किंवा, यथास्थिति, मान्यलाप्राप्त परिसंस्थेने अनुपालन न बेल्यास, लोकपाल त्याबाबत नियापीठ अनुपान जायंपाला बळवील.

(१०) कोणतीही खोटी किया शुल्लक तकार केलेली असल्यास, लॉकजालाला तळारकत्वां विरुद्ध योग्य तो कारवाई करण्याची शिफारस करता पेईल,

 लोकपाल आणि तमार निवारण कक्ष पांशव्याचा पहितो.— पथारियांत विद्यापाँठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्वताप्रारा परिसंस्था, तकार निवारण कसाच्या (कक्षांच्या) तरगुरी आणि लोकपाल यांच्या बाब्दाची संविस्तार कहिती, त्यांच्या संवेतारवळावर टाकील आणि त्यांच्या महितीपुस्तिकेत ठळपा ठिकाणी खापील.

(१) निष्ठापोठ अनुवान आयोग अधिविषम (१९५६) (१९५६ चा तीन) कलम १२ छ अन्यवे अनुवान प्राप्त करण्यासाठीच्या पाठतेचाँ घोषणा मागे घेंगे.

(२) विद्यापीठाल किंव्या मार्यावद्यालयाल किंवा मान्यतायापा परिसंस्थेल वयास्थिति देश्वात येणारे करेणलेही अनुयान रोप्यून ठेवणे :

(३) विद्याचेत अनुवन आयोगाच्या कोणत्याही सर्वसाधरण किंवा विशेष राहाव्य कार्यज्ञमांतर्गत कोणतेही सहाप्य देण्यसाती त्यांग विचारात इंण्याकरिता वर्षास्थिति विद्यापीत किंवा महाविद्यालय किंवा मन्यतावापा परिसंस्था यांना अपाव व्येषित करणे ;

(Y) यथाल्वित विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय किंवा मान्द्रताद्राणा परिसंखा, तक्रार निजरणसाठीया किमान दर्ज धरण करोत नहां, हे पॉफित करणारी नोटोस, यथोंवित माभ्यमांगर्थ ठलक ठिकाणे प्रसिद्ध करून आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेटस्थळावर टाकून, इवेंसासाठोच्या संघाव्य उमेदवारांसॉहत सर्वसाधरण जन्त्रेस त्यावाचत कळवणे :

(५) महविद्यालयच्या बाबतीत, महाविद्यालयची संलग्नता काडून येच्यायी आणि मान्यताहाल परिसंस्वेच्या बाबतीत शिर्थ मान्यता काडून प्रेण्याची संलग्न विद्यापीठाला शिष्यरस करणे ;

(६) विद्याचेठाच्या बाबतीत, आवश्यक आणि समुचित वररवाई करण्याची संबंधित राज्य शासनाला शिपारस वनणे.

(७) अनुपालन न केल्पाबाबल कोणत्यही विद्यापोठाच्या किंवा महाविद्यालयाच्या किंवा मान्यतावादा परिसंस्थेच्या विरुद्ध आवश्यक आणि समुचित कारयाई करणे:

परंतु, निवार्थठास अपलो स्थिती स्पष्ट करण्याची अणि त्याचे म्हणणे महत्वपांची तथो देण्यात आल्याध्वेरीज या चर्तान्यम्बजन्वये विक्षणेत अनुरान आयोगाकडून कोणतीले कार्ववक्षी केली जाणार वही.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल बांख्या आदेशानुसार व नावाने,

सिद्धार्थ खरात, शासनाचे व्यवसंच्य,

महाराष्ट्र राजन राजपत्र जनावसम्म भाग भार-ब, फेह्रजरी २७, २०१९/फाल्गुन ८, अर्क १९४०

HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT,

Medem Cama Marg. Hutatha Raiguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 25th February 2019.

NOTIFICATION

MALMANSHIMA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

No. Pariti-2018/CR-125/Vishi-2.---in exercise of the powers conferred by sub-section (10)of section 72 read with sub-section (11) of section 71 and clause (b) of sub-section (2) of section 56 of the Maharashtra Public Universities Act, 2016 (Mah. Act No. VI of 2017), the Government of Maharashtra heroby prescribes the Uniform Statute relating to the functional mechanism of working of the Students Griovance Redressal Cell, namely:---

UNIFORM STATUTE No. 5 OF 2019

 Short Title —This Statute may be called the Maharashtra Public Universities (Functional Mechanism of Working of Students' Grievance Redressal Cell) Uniform Statute, 2019.

2. Detaillans. (1) in this statute unless the context otherwise requires,---

(9) "aggrieved student" means a student who has any complaint in the matter concerned with the grievances defined under this statute and includes a person seeking admission to a university or college or recognized institution of higher education;

(ii) "declared admission policy" means such policy for admission to a course or pregram of study as may be offered by the university or college or recognized institution and published in the prospectus;

(#) "grievances" include the following complaints of the aggric/od students, namely ;---

 (a) making admission contrary to merit determined in accordance with the declared admission policy of the Stale and university;

(b) irregularity in the admission process by the university or college or recognized institution;
 (c) refusing admission in accordance with the declared admission policy as published in

prospectus ;

(d) non-publication of prospectus either hard copy or online, as specified in para 3 of this.
 Statute ;

(e) publiching any information in the prospectus, which is false or misleading, and not based on tacts;


(f) withhold or refuse to return any document in the form of certificates of degree, diploma of any other award or other document deposited with the university or college or recognized institution by a person while socking admission in such university or college or recognized institution, with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or program of study which such person does not intend to pursue;

(g) demand of money in excess of that specified in the declared admission policy or approved by the competent authority to be charged by such university or college or recognized institution;

(h) breach of the policy for reservations in admission as may be applicable ;

(i) insisting upon students to submit the original academic and personal certificates and tostimonials like mark sheets, school leaving certificate and other such documents at the time of admission, wherever such original documents are not compulsorily required;

HER THREE SHORE



महत्वभू ज्ञालन राजमञ्च असाधारण अस्त धार-इ. केतुनारी २७, २०११/कालपून ८. ग्राहे १९४०

(iii) The quorum for the meeting shall be two, including Chairperson.

(iV) The DGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances of the students.

(v) The DGRC shall resolve the grievance within period of titleen days of receiving the complaint and shall submit its report to the head of the department or head of the institution, as the case may be.

(VI) The DGRC shall provide a copy of the order to the aggrieved person(s).

(2) Institutional Grievance Redressal Cell (IGRC) :

12

(i) The complaints not related to university department or university institution and the gnovances not resolved at the DGRC shall be referred to the Institutional Grievance Redressal Cell (IGRC) to be constituted by the Vice-Chancellor of the university, composition of which shall be as follows:—

(a) Pro-Vice Chancellor / Dean / Senior professor - Chairperson.

(b) two senior professors other than Champerson - Member

(c) one Senate member from the constitutency of registered graduates - Member

(d) Director, Students' Development -Member Secretary.

(ii) The Chairperson of IGRC and DGRC shall not be the same. The tenure of the Cell members shall be two years.

(iii) The quorum for the meetings shall be three, including Chairperson.

(iv) The IGRC shall consider the recommendation of DGRC while taking the decision. However, the IGRC shall have the power to review recommendations of the DGRC.

(v) The IGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the grievances.

(vi) The IGRC shall resolve the grievance within period of fifteen days of receiving the complaint. The IGRC shall auggest periodically to the University, different ways and means to minimize and prevent such grievances.

(vii) The IGRC shall provide a copy of the order to the aggrieved person(s).

(3) College Grevance Redressal Coll (CGRC).

(i) In case of colleges or recognized institutions, all complaints shall first be addressed to College or Recognized institution Grievance Redressal Coll (CORC) composition of which shall be as follows -

(a) Principal of the college or head of the recognized institution-Chairperson;

(b) two senior faculty memoors nominated by the Principal of the College, or head of the recognized institution;

(ii) The tenuro of the members shall be two years.

(iii) the quorum for the mooting shall be two, including Chairperson

(iv) The CGRC shall follow the principles of natural justice while considering the grievances of the students.

(v) The CGRC shall resolve the grievance within period of fifteen days of receiving the complaint. The CGRC shall suggest periodically to the Management and University, as the case may be different ways and means to minimize and prevent such grievances.

(vi) The CGRC shall provide a copy of the order to the aggrieved person(s).

(4) University Grievance Redressal Cell (UGRC):

(i) In case of grievance against the university and the grievance not resolved by CGRC, it shall be referred to University Grievance Redressal Cell (UGRC) for which the Vice-Chancellor of the affiliating university shall constitute a University Grievance Redressal Cell (UGRC) consisting

माजराष्ट्र जातान राजपत्र जातावारण पाग जार-व, फेब्रुवारी १७, ५०१९/फाल्गुन ८, प्राके १९४०

(iv) the conditions of educational qualifications and eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student to a particular course or program of study, specified by the university or college or recognized institution;

(v) the process of selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or program of study and the amount of fee prescribed for the admission test;

(vi) rules or regulations for imposition and collection of any fines specified heads or categories, minimum and maximum fine may be imposed.

(vii) the percentage of tailion fee and other charges refundable to a student admitted in such university or college or recognized institution in case student withdraws from such university or college or recognized institution before or after completion of course or program of study and the time within and the manner in which such refund shall be made to that student;

(viii) documents to be submitted at the time of admission;

(iii) details of the teaching faculty, including their educational qualifications, alongwith the category they belong to Regular or Visiting and teaching experience of every member of its teaching faculty;

(X) Information with regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation, library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the university or college or recognized institution;

(x) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the university or college or recognized institution;

(xii) clear demorcation of aided and un-aided courses;

(x0) any such information as the university or college or recognized institution may deem fit.

(2) The university or college or recognized institution shall publish or upload information referred to in sub-para(1) above, on its official website, and inform prospective students and the general public by giving wide publicity in newspapers and through other media.

(3) The university or college or recognized institution shall fix the price of each printed copy of the prospectus including admission form, being not more than the reasonable cost of its publication and distribution, and no profit be made out of the publication, distribution or sale of prospectus.

4. Exclusion to Entertain Grievances. Grievances relating to subject matters governed by any Statutory Mechanism evolved by the State Government for which grievance redressal mechanism has specifically been provided under the relevant State Act, shall not be entertained by the Grievances Redressal Cells or the Ombudsporson.

5. Grievance Redressal Cells -(1) Department Grievance Redressal Cell (DGRC)

(i) In case of universities, all complaints relating to university department or university institution shall first be addressed to Department Grievance Rodressal Cell (DGRC) to be constituted at the level of university department or university institution, composition of which shall be as follows:—

(a) Head of the university department or university institution - Chairperson;

(b) A Professor from outside the university department or university institution to be nominated by the Vice-Chancellor- Member :

(c) A faculty member well-versed with grievance redressal mechanism to be nominated by the Head of the university department or university institution – Member-Secretary.

(ii) The Chairperson and members of the Cell shall have a term of two years.

REPORT AND AND AND

गत्वराष्ट्र शासन राजपत्र वस्त्रायात्व्य भाग धार-ड, फेत्रुतारी २७, २०१९/फाल्ग्न ८, लंक १९४०

of the six members for an individual college or recognized institution or a group of college or recognized institution keeping in view the location of the college or recognized institution. The UGRC shall be constituted by the Vice-chancellor of the university consisting of.....

15

(a) Pro-Vice Chancellor / Dean / Senior professor - Chairperson:

(b) three Principals from amongst the monitors of the Senate, of whom one shall be a woman and one shall be from Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Denotified Tribes or Nomadic Tribes or Other Backward Classes;

(c) one member of the Senato from the constituency of registered graduates,

(d) Director, Students' Development - Member Socretary.

(iii) The Champerson and members of the Cell shall have a term of two years.

(#) The quorum for the meeting shall be three, including Chairperson.

(iv) The UGRC shall follow the principles of natural justice while deciding the griovance of the students.

(v) The UGRC shall resolve the grievance within a period of Meen days of receiving the complaint. The UGRC shall suggest periodically to the Management and University, as the case may be different ways and means to minimize and prevent such grievances.

(vi) The UGRC shall provide a copy of the order to the aggrieved person(s).

(5) Any person aggreved by the decision of the Institutional Grievance Redressal Cell or University Grievance Redressal Cell may within a period of six days prefer an appeal to the Ombudsperson.

(6) In case the grievance is against any member in the Ceil, the concerned member shall abstain himself from the proceeding on such issue.

 Ombudsperson.-(1) The university shall appoint an Ombudsperson to hear and decide the appeals against the decisions of the institutional Grievance Redrossal Cell or University Grievance Redrossal Cell.

(2) The Ombudsperson shall be a person not related to the university and who is a judge not below the rank of rothred District Judge or a retired Vice-Chancellor or a retired Registrar or a retired Professor or a rothred Principal.

(3) The Ombudsperson shall not, at the time of appointment during one year before such appointment or in the course of his tenure as Ombudsperson be in a conflict of interest with the university whore his personal relationship, professional affiliation or financial interest may compromise or reasonably appear to compromise, the independence of judgement towards the university.

(4) The Ombudsperson, or any member of his immediate family shall not-

(i) hold or have held at any point in the past, any post or employment in the office of profit in the university.

 (ii) have any significant relationship, including personal, family, professional or financial, with the university;

(iii) hold any position in university by whatever name called, in the administration or governance structure of the university.

(i) Eminent educationist nominated by Chancellor-Chairperson;

 (ii) Vice-Chancellor of the public university to be nominated by the State Government ... Member;

(iii) Vice-Chancellor of the concerned university..... Member;

(IV) Registrar of the concerned university.... Secretary.

प्रदाशपु आसन राजपुत्र वसाधारण माग चार-य, पेजुवारी २७, २०१९/काल्यून ८, छके १९४०

Έr

(6) The Ombudsperson shall be a part-time efficer appointed for a period of three years, from the date he resumes the office and may be re-appointed for another one term in the same university. It shall be ensured by the university that the office of Ombudsperson shall not remain vacant for a period more than three months and within such period of vacancy, the Vice-Chancellor shall assign temporary charge to the sitting Ombudsperson from any of the universities governed by the Manarashtra Public Universities Act. 2016 (Mah. Act No. VI of 2017).

(7) The Ombudsperson shall be paid the sitting fee per day as approved by the Management Council of the University for hearing the cases, in addition to reimbursement of the conveyance.

(8) The Ombudsperson may be removed on charges of proven misconduct or misbehaviour or for violation of any of the conditions montioned in sub-clauses (3) and (4) above, by the Vice-Charcellor with the approval of the Management Council of the University.

 Powers and Functions of Ombudsperson. —(1) The Ombudsperson shall have power to hear and decide appeals against the docisions of the institutional Grievance Redrossal Cell or University Grievance Redressal Cell.

(2) No appeals for revaluation or remarking of answer sheets shall be entertained by the Ombudsperson. However, appeals relating to issues of malpractices in the examination and evaluation processos may be referred to the Ombudsperson.

(3) The Ombudsperson may seek an assistance of any person as ani/cus curiae, for hearing complaints of alleged discrimination.

(4) The Ombudsperson shall make all efforts to resolve the grievances within a period of 30 days of receiving an appeal from the student.

8. Procedure for Redressal of Gricvances by Ombudsperson and Gricvance Redressal Cell = (1) University or college or recognized institution shall, within a period of three months from the date of issue of this notification, have an online portal where any aggrieved student of that university or college or recognized institution may submit an application seeking grievance redressal.

(2) On receipt of any online complaint, the university or college or recognized institution shall refer the complaint to the appropriate Grievance Redressal Cell or the Ombudsperson, as the case may be, along with its comments within 15 days of receipt of complaint on online portal.

(3) The Grievance Redressal Cell or the Dimbudsperson, as the case may be, shall fix a doto for hearing the complaint which shall be communicated to the university or college or recognized institution and the aggreeved person.

(4) An aggneved person may appear either in person or be represented by such person other than legal practitioner, as may be authorized to present his case.

(5) The grievances not resolved at the appropriate Grievance Redressal Cell(s) shall be referred to the Ombudsperson.

(6) The university or college or recognized institution shall co-operate with the Ombudsperson or the Grievance Redressal Cell(s), as the case may be, in redressal of grievances and failure to do so may be reported by the Ombudsperson or Grievance Redressal Cell(s), as the case may be, to the Vice-Chancellor of the university.

(7) On the conclusion of proceedings, appropriate Grievance Redressal Cell or the Ombudsperson, as the case may be, shall pass such order, with reasons for such order, as may be deemed fit to redress the grievance and provide such relief as may be desirable to the affected party at issue, after giving due hearing to both the parties.

(8) Every order under the signature of the Ombudsperson or Chalrperson of the appropriate Gnevance Redressal Call, as the case may be, shall be provided to the aggreeved person and the university or college or recognized institution, as the case may be, and shall be placed on the website of the university or college or recognized institution.

alload more more more that all a point or sectration ? . . .

(B) The determining or nonspiced methation, as the case may be, shall onopy with the recommendations of the Ortbudgetson. Any recommendations of the Ortbudgetson not complexit with by the oniversity or oblige or recognized ristitution, on the case may be, shall be reported by the Ortbudgetson to the University Grants Community.

(70) It case of any fare or thronous complaint, the Ontoutoporton may recommend appropriate action against the complanate.

 Internation Regarding Destudy ensore and Categories Mathematical Cell —The environmy or surges an accepted mellother, as the case may tot, shall provide detailed information regarding provisions of structure Endpassed Delpti and Ombudgeeson on their website and in their prospects prominently.

10. Oversequences of Non-Compliance—The University States Commission, in mapsed of any university of college or recognized institution, as the case may be, which watch contracted in States or recognized by the neuronacce field that is comply with the recommendation of the Contractigation of the

(1) Withdrawal of decision of Rinces to receive grants under section 125 of the University Grants Commission Act, 1956 (2 of 1956);

(2) Withlielding any grant allocated to the university or splage or recognized institution, as the cost rise, be-

(3) Sectioning the university or college or recognized institution, as the case may be, meligible for consideration for any assistance tinder any of the general or special assistance programmics of the University Orants Commission;

(d) Informing the general patient, including potential conditions for administration transition and/or displayed provisionity in suitable media and potent on the website of the University Grants Commission, declares that the university or college or recognized institution, as the case may be don't not present the university or college or recognized institution, as the case may be don't not present in minimum relations for information of glassenings.

(3) Recommends to the affinating university for withdownel of allitation, in case of a college and withdramal of resegnition in case of resegnitive installation.

(#9 Recommend to the concerned date Government for recordary and appropriate action, in case of a uprivately);

(7) Take incorporty and expremities incorporation against any university or college or incorporate methodox as the case may be, for hom-compliance.

Excided that no action alter be taken by the University Clerch Commission unless the shown by or oblege or recognized statistics, as the case may be has been given an opportunity to explain be postion and an opportunity of being heart has been precided to a.

ifty order and in the mano of the Soviener of Mohizashina.

SIDDHARTH RHARAT, Junt Secretary to Government

Balances, in: domental relations and relationship to the second relation of the second relation of the second relation of the relation of t

Coordinator Internal Quality Assurance Cell Dr. H.N. Sinha Arts & Commerce College, PATUR



Principal Dr.H.N. Sinha College Patur, Dist. Akola